**जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षा तथा उपायों को बेहतर बनाना**

परामर्श पत्र

जुलाई 2024

प्रथम निवासियों का आदर (Acknowledgement of Country)

*हम ऑस्ट्रेलिया के परम्परागत संरक्षकों का आदर करते हैं और भूमि, जल तथा समुदाय से उनके निरंतर जारी संबंध का आदर करते हैं। हम व्यक्तियों, सँस्कृतियों तथा अतीत, वर्तमान और उभरते वयोवृद्धों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं।*

© Commonwealth of Australia 2024

राज्य-चिन्ह (Coat of Arms) को छोड़कर, इस प्रकाशन में प्रस्तुत की गई सारी सामग्री, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode> पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन अन्तर्राष्ट्रीय पब्लिक लाइसेंस के तहत प्रदान की गई है।

इसका मतलब है कि यह लाइसेंस इस सामग्री के, दस्तावेज़ में प्रस्तुत प्रारूप पर लागू होता है।

संबंधित लाइसेंस की शर्तों का विवरण क्रिएटिव कॉमन्स की वेबसाइट <https://creativecommons.org/> पर उपलब्ध है, साथ ही CC BY 4.0 लाइसेंस की संपूर्ण क़ानूनी संहिता <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode> पर उपलब्ध है।

राज्य-चिन्ह (Coat of Arms) का उपयोग  
जिन शर्तों के तहत राज्य-चिन्ह (Coat of Arms) का उपयोग किया जा सकता है उनका विवरण   
प्रधान मंत्री एवम् मंत्री-मण्डल विभाग (Department of the Prime Minister and Cabinet) की इस वेबसाइट पर है - <https://www.pmc.gov.au/government/commonwealth-coat-arms> ।

विषय-सामग्री

[सहायता और सहयोग 5](#_Toc171954070)

[शब्दावली के बारे में ध्यान देने योग्य बात 5](#_Toc171954071)

[सुझाव देना 5](#_Toc171954072)

[ऑनलाइन सर्वेक्षण या सुझावों को लिखित में जमा करवाना 5](#_Toc171954073)

[*परामर्श के अन्य माध्यम* 6](#_Toc171954074)

[परामर्श की अवधि 6](#_Toc171954075)

[पूछताछ 6](#_Toc171954076)

[प्रस्तावना 7](#_Toc171954077)

[जबरन विवाह 7](#_Toc171954078)

[ऑस्ट्रेलिया में जबरन विवाह के प्रति मौजूदा प्रावधान 8](#_Toc171954079)

[*सहायता सेवाएँ* 8](#_Toc171954080)

[व्यापकता और आकड़े 9](#_Toc171954081)

[*पीड़ित-सर्वाइवरों की आयु* 9](#_Toc171954082)

[मामले के उदाहरण 10](#_Toc171954083)

[परामर्श के लिए प्रस्ताव 12](#_Toc171954084)

[भाग 1 - पीड़ित-सर्वाइवरों की पारिवारिक और घरेलू हिंसा सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए जबरन विवाह की, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर, साझा समझ उत्पन्न करना 14](#_Toc171954085)

[अपेक्षित परिणाम 14](#_Toc171954086)

[सारांश 14](#_Toc171954087)

[फीडबैक के लिए प्रस्ताव 14](#_Toc171954088)

[भाग 2 - शिक्षा और जारूकता‑वृद्धि को बढ़ाना 16](#_Toc171954089)

[अपेक्षित परिणाम 16](#_Toc171954090)

[सारांश 16](#_Toc171954091)

[फीडबैक के लिए प्रस्ताव 16](#_Toc171954092)

[भाग 3 - जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाओं और उपायों को मज़बूत बनाना 18](#_Toc171954093)

[अपेक्षित परिणाम 18](#_Toc171954094)

[सारांश 18](#_Toc171954095)

[*नागरिक सुरक्षाएँ और उपाय क्या होते हैं?* 18](#_Toc171954096)

[*वर्तमान में क्या-क्या नागरिक सुरक्षाएँ उपलब्ध हैं?* 18](#_Toc171954097)

[*जबरन विवाह के प्रति हमें और ज़्यादा मज़बूत नागरिक सुरक्षाओं और उपायों की ज़रूरत क्यों है?* 19](#_Toc171954098)

[फीडबैक के लिए प्रस्ताव 20](#_Toc171954099)

[बेहतर नागरिक सुरक्षाओं और उपायों को शुरु करने के लिए विकल्प 20](#_Toc171954100)

[बेहतर नागरिक सुरक्षाएँ और उपाय - मुख्य तत्व 22](#_Toc171954101)

[सहायता माँगने के लिए ख़तरे के कारण और अवरोध 28](#_Toc171954102)

[बच्चों की सहायता करना 28](#_Toc171954103)

[निष्कर्ष 29](#_Toc171954104)

[समेकित परामर्श प्रश्न 30](#_Toc171954105)

[*परामर्श के लिए प्रस्ताव* 30](#_Toc171954106)

[*भाग 1: पीड़ित-सर्वाइवरों की पारिवारिक और घरेलू हिंसा सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए जबरन विवाह की, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर साझा समझ उत्पन्न करना* 30](#_Toc171954107)

[*भाग 2: शिक्षा और जारूकता बढ़ाने को बेहतर बनाना* 30](#_Toc171954108)

[*भाग 3: जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाओं और उपायों को मज़बूत बनाना* 30](#_Toc171954109)

[*फीडबैक के लिए प्रस्ताव* 30](#_Toc171954110)

[*आदेशों के आधार* 30](#_Toc171954111)

[*आदेशों का दायरा* 31](#_Toc171954112)

[*आवेदक* 31](#_Toc171954113)

[*प्रतिवादी* 31](#_Toc171954114)

[*पीड़ित-सर्वाइवर प्रतिनिधित्व* 31](#_Toc171954115)

[*क़ानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से अदालती सुरक्षाएँ और सहायता* 31](#_Toc171954116)

[*अंतरिम आदेश और एक-पक्षीय सुनवाईयाँ* 31](#_Toc171954117)

[*सेवा,* प्रवर्तन*और उल्लंघन* 31](#_Toc171954118)

[*अन्य उपाय* 31](#_Toc171954119)

[*सहायता माँगने के लिए ख़तरे के कारण* और अवरोध 31](#_Toc171954120)

[*बच्चों की सहायता करना* 32](#_Toc171954121)

# सहायता और सहयोग

जबरन विवाह एक चुनौतीपूर्ण समस्या है और इस पत्र को पढ़ने से कुछ लोगों में गहरी भावनाएँ उभर सकती हैं।

यदि आपको अपनी, किसी अन्य व्यक्ति की, सुरक्षा के बारे में तत्काल कोई चिंता है, या कोई आपात-स्थिति है, तो तीन शून्य (000) डायल करें।

यदि आप पर या आपकी जान-पहचान के किसी व्यक्ति पर जबरन विवाह का ख़तरा है तो आप इस बारे में [ऑस्ट्रेलियाई फैडरल पुलिस](https://forms.afp.gov.au/online_forms/human_trafficking_form) को रिपोर्ट कर सकते हैं या 131 237 पर फ़ोन कर सकते हैं, या [माय ब्लू स्काई (My Blue Sky)](https://mybluesky.org.au/) से उनकी वेबसाइट के माध्यम से या 02 9514 8115 पर फ़ोन करके (सोमवार से शुक्रवार, सिडनी के समयानुसार सवेरे 9 बजे से शाम 5 बजे तक), संपर्क कर सकते हैं। MyBlueSky, जिन लोगों का जबरन विवाह हुआ है उनके लिए या विवाह करने के लिए मजबूर किये जाने से चिंतित लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय सेवा है।

निम्नांकित सेवाएँ भी आपको सहायता और सहयोग दे सकती हैं:

* [Lifeline](https://www.lifeline.org.au/about/contact-us/) (13 11 14) - राष्ट्रीय संकट-स्थिति सहायता तथा आत्महत्या बचाव सेवाएँ, दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध हैं
* [1800Respect](https://www.1800respect.org.au/) (1800 737 732) - राष्ट्रीय यौन उत्पीड़न, घरेलू तथा पारिवारिक हिंसा काउंसलिंग सेवा, दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध है
* [13YARN](https://www.13yarn.org.au/) (13 92 76) एबोरीजनल तथा टोरस स्ट्रेट आईलैंडर संकट-स्थिति सहायता लाइन है, जो दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध है
* [Kids Helpline](https://kidshelpline.com.au/) (1800 55 1800) - बच्चों तथा छोटी आयु (5 से 25 वर्)ष के लोगों के लिए राष्ट्रीय संकट-स्थिति सहायता, दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध है।

## शब्दावली के बारे में ध्यान देने योग्य बात

इस परामर्श पत्र में ‘पीड़ित-सर्वाइवर’ शब्द का उपयोग, एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया गया है जिसे जबरन विवाह का अनुभव हुआ है या जिसने एक ऐसे बर्ताव का अनुभव किया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को जबरन विवाह करने के लिए उकसाना था। हम यह स्वीकार करते हैं कि हो सकता है जिन लोगों को जबरन विवाह का अनुभव हुआ है वे अपनी पहचान इस शब्द से न करें।

## सुझाव देना

यह परामर्श पत्र, जिनका जबरन विवाह हुआ है, या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है, उन लोगों के लिए नागरिक सुरक्षाओं तथा उपायों को बेहतर बनाने के लिए एक प्रणाली तैयार करने सहित, समन्वित राष्ट्रीय जवाबी कार्यवाही (रिस्पॉन्स) के माध्यम से, जबरन विवाह से निपटने के लिए, ऑस्ट्रेलिया की सरकारों के प्रयासों के लिए जानकारी हासिल करने हेतु टिप्पणियों को आमंत्रित करता है।

हम समुदाय के सभी लोगों की, विशेषकर जबरन विवाह करके जीवन बिताने के अनुभव वाले व्यक्तियों, जबरन विवाह से प्रभावित हुए समुदायों, वक़ीलों, सेवा प्रदाताओं, लोगों को महत्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों, सामुदायिक समूहों, तथा शिक्षाविदों की, बातें सुनना चाहते हैं।

### ऑनलाइन सर्वेक्षण या सुझावों को लिखित में जमा करवाना

इस परामर्श पत्र के जवाब में सुझाव प्रदान करने के लिए, [कॉमनवैल्थ एटोर्नी-जनरल के विभाग का परामर्श केन्द्र (Commonwealth Attorney-General’s Department’s Consultation Hub)](https://consultations.ag.gov.au/integrity/forced-marriage) (Make a submission)’ पर क्लिक करें। क्लिक करने से आप एक ऑनलाइन सर्वे पर पहुँच जाएँगे जिसमें इस पत्र में वर्णित परामर्थ प्रश्नों की सूची है। आपको हर प्रश्न का जवाब देने की ज़रुरत नहीं है। केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका स्वागत है जो आपके या आपके संगठन के लिए उपयुक्त हैं। आप इस परामर्श केन्द्र के माध्यम से एक अलग से संपूर्ण सुझाव भी जमा करवा सकते हैं।

आप अपना जवाब आपके नाम से या गुमनाम रूप से जमा करवा सकते हैं। यदि आप सहमति देंगे, तो हम परामर्श अवधि के ख़त्म होने के बाद जवाबों को प्रकाशित करेंगे। यदि आप सहमति नहीं देंगे, या अगर जवाब को प्रकाशित करने में किसी क़ानूनी समस्या की संभावना हुई, तो हम जवाबों को प्रकाशित नहीं करेंगे। जमा कराए गए सुझाव, सूचना की स्वतंत्रता के अनुरोधों, या संसद के अनुरोध से प्रभावित हो सकते हैं।

इस परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से साझा की गई व्यक्तिगत जानकारी को *निजता अधिनियम 1988 (Privacy Act 1988) (Cth)* के अनुसार संभाला जाएगा। इस बारे में जानने के लिए कि अटर्नी-जनरल के विभाग द्वारा निजी सूचनाओं को कैसे एकत्रित, संग्रहित और उपयोग किया जाता है, कृपया [अटर्नी-जनरल के विभाग की निजता नीति](https://www.ag.gov.au/about-us/accountability-and-reporting/privacy-policy) पर जाएँ।

### *परामर्श के अन्य माध्यम*

यदि आप अपना फीडबैक व्यक्तिगत रूप से आमने-सामने या वीडियो अथवा फ़ोन कॉल के द्वारा देना चाहते हैं, तो कृपया [ForcedMarriage@ag.gov.au](mailto:ForcedMarriage@ag.gov.au) पर संपर्क करें।

यदि आप अपना फीडबैक अंग्रेज़ी के अलावा किसी दूसरी भाषा में देना चाहते हैं, तो कृपया [ForcedMarriage@ag.gov.au](mailto:ForcedMarriage@ag.gov.au) पर संपर्क करें।

यदि सुलभता के बारे में आपकी कोई अन्य आवश्यकताएँ हैं, तो कृपया [ForcedMarriage@ag.gov.au](mailto:ForcedMarriage@ag.gov.au) पर ईमेल भेजकर हमें बताएँ।

## परामर्श की अवधि

यह परामर्श 29/07/2024 को चालू होगा और 23/09/2024 को ख़त्म होगा।

## पूछताछ

यदि आप अपने फीडबैक के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया [ForcedMarriage@ag.gov.au](mailto:ForcedMarriage@ag.gov.au)पर संपर्क करें।

# प्रस्तावना

ऑस्ट्रेलिया की सभी सरकारें उन लोगों की बेहतर सुरक्षा के लिए मिलकर प्रयास कर रही हैं जिन्होंने जबरन विवाह किया है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है। इस पत्र में वर्णित उपाय कॉमनवैल्थ, राज्य या टेरीटोरी की सरकारों के सहमत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और ना ही सरकारों को कार्यवाही करने के लिए वचनबद्ध करते हैं। इस परामर्श पत्र के जवाबो से ऑस्ट्रेलिया के सभी प्रशासकीय संस्थानों को, जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षा और उपायों को बेहतर बनाने के लिए एक प्रणाली तैयार करने व उस पर सहमत होने तथा और भी ज़्यादा प्रयास करने के लिए जानकारी हासिल होगी।

ऑस्ट्रेलिया में हर व्यक्ति यह तय करने के लिए आज़ाद है कि, उसे विवाह करना है या नहीं, वह किससे कर सकता है और कब कर सकता है। जब कोई विवाह नहीं करना चाहता है तो उसे विवाह करने के लिए मज़बूर करना ऑस्ट्रेलिया में कभी भी स्वीकार्य नहीं है और ऑस्ट्रेलिया में यह एक अपराध है।

ऑस्ट्रेलिया की सरकारें एक ऐसी समन्वित राष्ट्रीय जवाबी कार्यवाही के माध्यम से प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो जबरन विवाह कर चुके लोगों या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों के लिए उपलब्ध नागरिक सुरक्षाओं तथा उपायों को मज़बूत बनाती हो। एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने के लिए सरकारों के बीच सहयोग ज़रूरी होता है, जो न्याय-संगत, सुलाभ और लागू करने योग्य हो, और जो जबरन विवाह पर जवाबी कार्यवाही की अनोखी चुनौतियों पर ध्यान देती हो, इन चुनौतियों के कुछ उदाहरण हैं, पीड़ित-सर्वाइवरों को ज़बरदस्ती ऑस्ट्रेलिया से बाहर ले जाए जाने से बचाना और ऐसी सुरक्षाएँ प्रदान करना जो बच्चों और व्यस्कों, दोनों के लिए उपलब्ध हों।

बेहतर नागरिक सुरक्षाओं और उपायों का उद्देश्य होगा, हस्तक्षेप और रोकथाम के ऐसे साधन प्रदान करना जो जबरन विवाह पर ऑस्ट्रेलिया में मौजूदा प्रावधानों के लिए सहायक हों, इनमें शामिल हैं:

* ऑस्ट्रेलियाई सरकार के, तस्करी किए गए लोगों के लिए सहायता कार्यक्रम (Support for Trafficked People Program) के माध्यम से उपलब्ध, समर्पित जबरन विवाह सहायता शाखा।
* 2025 में एक जबरन विवाह विशेषज्ञ सहायता कार्यक्रम की स्थापना करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा नई फंडिंग, जिससे विशेषज्ञ सहायता के साथ-साथ सामुदायिक शिक्षा दी जाएगी और जागरूकता बढ़ाई जाएगी
* जबरन विवाह पर ध्यान देने और जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों को सहायता देने के लिए सामुदायिक संगठनों को अनुदान (फंडिंग) देना
* MyBlueSky, जिन लोगों का जबरन विवाह हुआ है उनके लिए या विवाह करने के लिए मजबूर किये जाने से चिंतित लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया की समर्पित राष्ट्रीय सेवा, जो एंटी-स्लेवरी ऑस्ट्रेलिया (Anti-Slavery Australia) द्वारा प्रदान की जाती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई जनता की राय महत्वपूर्ण है कि यह प्रयास समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करे और जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों को बेहतर नागरिक सुरक्षाएँ प्रदान करे।

## जबरन विवाह

जबरन विवाह तब होता है जब कोई व्यक्ति बिना किसी दबाव और पूर्ण सहमति के विवाह करे क्योंकि उन्हें डराया गया, धमकी दी गई या धोखा दिया गया, या वो विवाह संस्कार की प्रकृति और असर को समझने में असमर्थ है, या जब उनका विवाह किया गया था उस समय उनकी आयु 16 वर्ष से कम थी।

किसी भी पृष्ठभूमि के किसी भी व्यक्ति का जबरन विवाह हो सकता है। कम उम्र की महिलाओं और लड़कियों पर सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है, लेकिन सभी आयु वर्गों, लैंगिकताओं (जैंडर्स), लैंगिक रुझानों, सँस्कृतियों या धर्मों के लोगों का जबरदस्ती विवाह किया जा सकता है। जबरन विवाह को ऑस्ट्रेलिया में एक दासता-जैसी प्रथा माना जाता है, लेकिन इसे पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप और जेंडर-आधारित हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर भी पहचाना जाता है। *महिलाओं और उनके बच्चों के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय योजना (2022‑2032*) में, जबरन विवाह की एक ऐसे मुद्दे के तौर पर पहचान की गई है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि जबरन विवाह माता-पिता द्वारा तय किए गए विवाहों और दिखावटी विवाहों से अलग होता है। माता-पिता द्वारा तय किए गए विवाह वैध होते हैं और ये तब होते हैं जब जीवन-साथी से परिचय कराने या जीवन-साथी चुनने में परिवार या समुदाय के सदस्य प्रमुख भूमिका निभाते हैं, और इनमें विवाह के लिए दोनों पक्ष सहमति देते हैं। दिखावटी विवाह तब होता है जब दोनों पक्ष कपटपूर्ण उद्देश्यों के लिए अपनी इच्छा से एक दूसरे से फर्जी विवाह करते हैं।

## ऑस्ट्रेलिया में जबरन विवाह के प्रति मौजूदा प्रावधान

जबरन विवाह के प्रति ऑस्ट्रेलियाई सरकार की जवाबी कार्यवाही, मानव तस्करी, दासता तथा दासता-जैसी अन्य प्रथाओं जैसे कि ग़ुलामी और जबरन मज़दूरी सहित शोषण के गंभीर स्वरूपों के प्रतिरोध के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार की रणनीति का हिस्सा है। सामूहिक रूप से, इन प्रथाओं को अक्सर ‘आधुनिक दासता’ कहा जाता है।

जबरन विवाह सहित, आधुनिक दासता का प्रतिरोध करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की रणनीति का वर्णन [आधुनिक दासता का प्रतिरोध करने के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही योजना 2020 - 2025](https://www.ag.gov.au/crime/publications/national-action-plan-combat-modern-slavery-2020-25) (राष्ट्रीय कार्यवाही योजना) में किया गया है। राष्ट्रीय कार्यवाही योजना में , उन व्यक्तियों के लिए नागरिक सुरक्षाओं और उपायों को बेहतर बनाने के लिए एक प्रणाली तैयार करने की विशेष वचनबद्धता है जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है।

कॉमनवैल्थ *दण्ड संहिता अधिनियम 1995* *(*दण्ड संहिता) में उन अपराधों को शामिल किया गया है जो जबरन विवाह को दण्डात्मक बनाते हैं। इन्हें 2013 में पेश किया गया था। दण्ड संहिता के अंतर्गत, किसी व्यक्ति द्वारा जबरन विवाह करने कारण बनना, या किसी जबरन विवाह का एक पक्ष होना ग़ैर-क़ानूनी है। यदि आप ख़ुद जबरन विवाह के एक पीड़ित नहीं हैं, तो जबरन विवाह का एक पक्ष होने का मतलब है कि आप एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करने की सहमति दे रहे हैं जिसके बारे में आपको मालूम है या संदेह है कि वह जबरन विवाह का एक पीड़ित है।

ऑस्ट्रेलियन फैडरल पुलिस (एएफपी) ऑस्ट्रेलिया में जबरन विवाह के अपराधों की तहकीकात करने वाली प्रमुख एजेंसी है। एएफपी, जिनका जबरन हुआ है उन लोगों को या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों को, सुरक्षित आवास, वित्तीय सहायता, काउंसलिंग, और ईमीग्रेशन के बारे में क़ानूनी सलाह सहित, अन्य प्रकार के सहयोग उपलब्ध करवाने वालों के पास भेज सकती है। यदि किसी व्यक्ति की, आपराधिक तहकीकात या अभियोग में सहायता करने की इच्छा नहीं हो तब भी यह सहायता उपलब्ध होती है। यदि किसी व्यक्ति की, आपराधिक तहकीकात या अभियोग में सहायता करने की इच्छा नहीं हो तब भी यह सहायता उपलब्ध होती है।

### *सहायता सेवाएँ*

यह सहायता, ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा‑ निधिबद्ध (फंडेड), तस्करी किए गए लोगों के लिए सहायता कार्यक्रम (Support for Trafficked People Program) (एसटीपीपी) के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिसे ऑस्ट्रेलियाई रैड क्रॉस लोगों तक पहुँचाता है। एसटीपीपी उन लोगों के लिए अधिकतम 200 दिनों तक गंभीर सहायता प्रदान करता है जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है। अभी, केवल एएफपी ही मुवक्किलों को एसटीपीपी के लिए भेज सकती है। लेकिन, 2024 के मध्य में, एसटपीपी के लिए भेजे जाने हेतु एक अतिरिक्त तरीका स्थापित किया जाएगा। इसका मतलब होगा कि पीड़ित-सर्वाइवर, सामुदायिक सेवा प्रदाता के माध्यम से, एएफपी के शामिल होने की ज़रूरत के बिना एसटीपीपी तक पहुँच सकेंगे। अनुदान (ग्रांट) के लिए एक खुली प्रक्रिया के बाद, साल्वेशन आर्मी को 28 नवंबर 2025 तक के लिए इस अतिरिक्त रैफरल तरीके (Additional Referral Pathway) को लागू करने के लिए चुना गया था। वे हरेक राज्य और टेरीटोरी में सवेरे 9बजे से शाम 5बजे के बीच एसटीपीपी के लिए पीड़ित-सर्वाइवर की पात्रता का आकलन करेंगे, कार्य घंटों से बाहर के समय (आफ्टर-आवर्स) में जानकारी पाने के लिए उनकी एक वेबसाइट और मैसेज सेवा उपलब्ध होगी।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक नए कार्यक्रम, जबरन विवाह विशेषज्ञ सहायता कार्यक्रम (एफएमएसएसपी) के संचालन के लिए भी 5 वर्षों में 12.1 मिलियन डॉलर्स देने का वादा किया है, जबरन विवाह के संबंध में राष्ट्रीय स्तर का यह कार्यक्रम जनवरी 2025 में शुरु होगा। एफएमएसएसपी द्वारा, जिन लोगों पर जबरन विवाह का ख़तरा है, या जिनका जबरन विवाह हुआ है उन मुवक्किलों की स्वास्थ्य, सकुशलता, शारीरिक और सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार रोकथाम तथा जल्दी हस्तक्षेप सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, इन आवश्यकताओं में जब आवश्यकता हो तो ज़रूरी काउंसलिंग तक पहुँच और आपात-स्थिति आवास भी शामिल है। एफएमएसएसपी का दृष्टिकोण होगा कि लोग-बाग चाहे किसी भी सेवा या एजेंसी से संपर्क करें, उन्हें सहायता मिल सकती है, इसमें जिनका जबरन हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है, वे लोग समुदाय में ‘आसान प्रवेश’ की किसी भी जगह के माध्यम से इस कार्यक्रम तक पहुँच सकते हैं। एफएमएसएसपी में, ऑस्ट्रेलिया में समुदायों के साथ मिलकर काम करते हुए, समुदाय को शिक्षित करने और जागरुकता बढ़ाने की, नई पहल भी शामिल होगी।

एफएमएसएसपी को संस्थापित करने में सहयोग के लिए, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 2.2 मिलियन डॉलर्स देने का वादा किया है, यह वादा एंटीस्लेवरी ऑस्ट्रेलिया द्वारा लोगों तक पहुँचाए जाने वाले, *स्पीक नाउ* (Speak Now) प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है, ताकि जबरन विवाह की रोकथाम को शिक्षण, जागरूकता बढ़ाने और आपसी सहयोग के माध्यम से जारी रखना सुनिश्चित किया जा सके।

## व्यापकता और आकड़े

रिपोर्टों की सँख्याआधुनिक दासता की एएफपी को की गई सभी रिपोर्टों में, जबरन विवाह की रिपोर्टों का अनुपात सबसे ज़्यादा है। जबरन विवाह अक्सर सामने नहीं आते और इनके बारे में रिपोर्ट कम की जाती हैं और इनका कम ही पता चलता है। पीड़ित-सर्वाइवर अक्सर कम आयु के होते हैं और उन्हें सामने आने और रिपोर्ट करने में डर लगता है। डराना और नियंत्रण भी पीड़ित-सर्वाइवरों को सहायता मांगने से रोक सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, शोध से संकेत मिलते हैं कि आधुनिक दासता के पीड़ित-सर्वाइवरों में, हर पाँच में से केवल एक का ही पता चलता है।

**सारणी 1: 2018 FY से 2023 FY तक (5 वर्षों में) एएफपी द्वारा प्राप्त की गईं आधुनिक दासता की रिपोर्टें**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018-19 FY | 2019-20 FY | 2020-21FY | 2021-22 FY | **2022-23** **FY** |
| **जबरन विवाह** | 95 | 92 | 79 | 84 | **90** |
| **आधुनिक दासता की कुल रिपोर्टें** | 220 | 223 | 224 | 294 | **340** |

### *पीड़ित-सर्वाइवरों की आयु*

एएफपी को की अधिकाँश रिपोर्टों में वे पीड़ित-सर्वाइवर्स शामिल होते हैं जो 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं, इनमें से ज़्यादातर की आयु 16 वर्ष से कम होती हैं। 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2022 तक, 56% रिपोर्टों में 18 वर्ष से कम आयु के पीड़ित-सर्वाइवर्स शामिल थे, जिनमें से 31% की आयु 16 वर्ष से कम थी और 25% की आयु 16 से 18 वर्ष के बीच थी।

**ग्राफ 1: जबरन विवाह की रिपोर्टें - रिपोर्ट करने के समय पीड़ित-सर्वाइवर की आयु (5 ‑वर्षों का विश्लेषण)**

16 वर्ष से कम

18 वर्ष और उससे ज़्यादा

*टिप्पणी: ये आँकड़े उन अपराधों से संबंधित हैं जो हुए थे, जिन के लिए प्रयास किया गया और जिन के होने का ख़तरा था।*

# मामले के उदाहरण

नीचे दी गई कहानियाँ कुछ ऐसे तरीकों के उदाहरण पेश करती हैं जिनसे लोगों का जबरदस्ती विवाह किया जा सकता है। ये काल्पनिक उदाहरण हैं, जिनकी परिकल्पना वास्तविक मामलों के आधार पर की गई है।

|  |
| --- |
| **मामला उदाहरण**  यास्मीन 15-वर्ष की एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है।  यास्मीन के माता-पिता ऑस्ट्रेलिया में ही रुक जाते हैं और वह अपने दादा/दादी नाना-नानी से मिलने विदेश चली जाती है। जल्दी ही उसे पता चलता है कि उसके माता-पिता ने उसके इस ट्रिप में, उसके कज़िन भाई से उसका विवाह करने की व्यवस्था की है, जो कि उम्र में उससे लगभग 20 वर्ष बड़ा है। यास्मीन अपने माता-पिता से कहती है कि वह विवाह नहीं करना चाहती, लेकिन वे उनके परिवार और समुदाय के लिए इस विवाह की महत्ता पर ज़ोर देते हुए, जिद करते हैं कि यह विवाह होना चाहिए।  यास्मीन के रिश्तेदार उसका पासपोर्ट ले लेते हैं और उसे किसी दूसरे रिश्तेदार के घर ले जाते हैं जो यास्मीन के गृह राष्ट्र में ऐसी जगह पर है जिस जगह से वह अपरिचित है। यास्मीन को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है और उसे फ़ोन भी नहीं दिया जाता, उसे फ़ोन केवल तभी दिया जाता है जब उसके माता-पिता फ़ोन करते हैं।  एक दिन, यास्मीन के माता-पिता ने उसे यह कहने के लिए फ़ोन किया कि अगर वह उस पुरुष से विवाह करने के लिए सहमत हो जाएगी जिसे उन्होंने उसके लिए चुना है, तो ही वह ऑस्ट्रेलिया वापस आ सकेगी और वापस स्कूल जा सकेगी। यास्मीन अपने माता-पिता से कहती है कि वो उस पुरुष से विवाह करने के लिए तैयार है लेकिन उनका फ़ोन बंद होने के बाद, वो तुरंत ऑस्ट्रेलिया में अपनी एक क़रीबी सहेली पर भरोसा करते हुए उसे यह बताने के लिए संपर्क करती है कि क्या हुआ है और कैसे वो यह विवाह नहीं करना चाहती है। वो अपनी सहेली से कहती है कि उसे नहीं मालूम कि वो किस जगह पर है और उसे नहीं मालूम कि वो कैसे सहायता प्राप्त कर सकती है। उसकी सहेली सहायता और सलाह लेने के लिए एक स्थानीय सामुदायिक संगठन से संपर्क करती है। |
|  |
| **मामला उदाहरण**  सैम एक 20-वर्ष का समलिंगी पुरुष है। वह गुप्त रूप से अपने बॉयफ्रैंड के साथ दो वर्षों से डेटिंग कर रहा था।  सैम के माता-पिता बहुत ही रूढ़िवादी हैं। सैम को अपने माता-पिता की बहुत परवाह है और उसे इस बात का डर है कि उसके माता-पिता उसके बॉयफ्रैंड को स्वीकार नहीं करेंगे।  एक दिन सैम के अंकल उसे उसके बॉयफ्रैंड के साथ देख लेते हैं और उसके माता-पिता को इस बारे में बताते हैं। वो अपने समुदाय में परिवार की इज्जत पर कलंक लगने से बचने के लिए सैम के माता-पिता को जल्दी से सैम का विवाह महिला से करने के लिए राजी कर लेते हैं।  थोड़े दिन बाद, उसके माता-पिता अपने समुदाय की एक महिला ढूँढ लेते हैं जो उससे विवाह करने के लिए तैयार है। सैम उससे पहले कभी नहीं मिला था और वह अपने परिवार को कहने की कोशिश करता है कि वह उस महिला से विवाह नहीं करना चाहता है। सैम के अंकल उससे कहते हैं कि वो खुदगर्ज बन रहा है और अपने परिवार को शर्मिंदा कर रहा है और वो इस बात ज़ोर देते हैं कि सैम के माता-पिता विवाह की तैयारियाँ जारी रखें। सैम नरम पड़ जाता है और वैध विवाह की रस्में निभा देता है लेकिन वह नाख़ुश है और उस विवाह से बंधा नहीं रहना चाहता है। जब वह ये बात समाने रखता है, तो सैम के अंकल को गुस्सा आ जाता है और वो इस डर से कि सैम अपने बॉयफ्रैंड के पास वापस जा सकता है, सैम के माता-पिता को इस बात के लिए राजी कर लेते हैं कि वे उसे इस विवाह को तोड़ने नहीं दें।  सैम डरता है कि कुछ बोलने से उसके माता-पिता पुलिस को इसकी रिपोर्ट करके मुसीबत में फँस जाएँगे। सैम को लगता है कि वो शायद अपने माता-पिता से निवेदन कर सकता है लेकिन उसे चिंता है कि उसके अंकल, सैम के माता-पिता पर इस बात का दबाव डालना जारी रख सकते हैं कि वे उसे इस विवाह में बने रहने के लिए मजबूर करें। |

|  |
| --- |
| **मामला उदाहरण**  ज़ारा 17 वर्ष की है और कुछ ही महीनों में 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने वाली है।  ज़ारा के पिताजी बहुत सख़्त और नियंत्रणकारी हैं और वह उनसे डरती है। जब ज़ारा 15 वर्ष की थी, तो उसके पिताजी ने उसका विवाह ज़ारा के मूल देश के एक पुरुष से करना की व्यवस्था की थी। ज़ारा ने अपने पिताजी से विनती की कि वो कम से कम उसकी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होने तक इंतज़ार करें।  अब ज़ारा की हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होने वाली है, ज़ारा के पिताजी ज़ारा को उस पुरुष से विवाह करने के लिए उसके मूल देश की यात्रा पर जाने की व्यवस्था शुरु करते हैं जिस पुरुष को उन्होंने उसके लिए चुना था। ज़ारा को लगता है कि वह अपने पिताजी को दोबारा राजी नहीं कर पाएगी और वो यह विवाह करना नहीं चाहती।  जब यात्रा की तारीख़ पास में आती है, तो ज़ारा अपनी टीचर पर भरोसा करते हुए उन्हें सारी बात बता देती है। चूँकि ज़ारा एनएसडब्ल्यू में रहती है और 17 वर्ष की है, इस आचरण के बारे में बाल सुरक्षा सेवाओं को सूचित करना अनिवार्य नहीं है इसलिए ज़ारा का स्कूल एनएसडब्ल्यू की पुलिस को इसकी रिपोर्ट करता है। पुलिस टीचर और परिवार से मिलती है जिसके परिणामस्वरूप, यह निर्धारित होता है कि ज़ारा पर जबरन विवाह का ख़तरा है। |

# परामर्श के लिए प्रस्ताव

इस परामर्श पत्र में, जबरन विवाह के प्रति ऑस्ट्रेलिया के रवैये को मजबूती देने और जबरन विवाह के प्रति बेहतर नागरिक सुरक्षा और उपायों को लोगों तक पहुँचाने हेतु एक प्रणाली के लिए मसौदे के विकल्पों का संक्षिप्त विवरण है। इन विकल्पों पर, तथा अन्य विकल्पों पर, ऑस्ट्रेलिया की सभी सरकारों द्वारा चर्चा की जा रही है और ये आगे और विचार-विमर्श तथा निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। इस पत्र में जिन तीन कार्यवाहियों पर विचार किया गया है, वे हैं:

1. पीड़ित/सर्वाइवरों की पारिवारिक और घरेलू हिंसा सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए जबरन विवाह की, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर **साझा समझ उत्पन्न करना**
2. जल्दी पहचान, हस्तक्षेप और रोकथाम में सहयोग के लिए **शिक्षा और जारूकता वृद्धि को बढ़ाना**
3. **जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाओं** और उपायों **को मज़बूत बनाना**, निम्नांकित के माध्यम से
   1. **विकल्प A**: बेहतर सुरक्षाओं को, कॉमनवैल्थ, राज्य और टेरीटोरी के पहले से विद्यमान पारिवारिक और घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स में एकीकृत करना
      1. इसमें प्रशासकीय संस्थानों के लिए, साझा सिद्धांतों या बेहतर सुरक्षा के तत्वों को तैयार करना और उन पर सहमत होना शामिल हो सकता है, ताकि वे इन्हें अपने पारिवारिक और घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स में एकीकृत कर सकें, **या**
   2. **विकल्प B:** लागू करने के लिए राज्य तथा टेरीटोरी सरकारों से सहायता के साथ, कॉमनवैल्थ क़ानून के माध्यम से नई सुरक्षाएँ स्थापित करना

इस कार्य को, जनवरी 2025 में शुरु होने वाले, जबरन विवाह विशेषज्ञ सहायता कार्यक्रम की स्थापना करके, जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों के लिए सहायता बेहतर बनाने की ऑस्ट्रेलियाई सरकार की वचनबद्धता से सहयोग मिलेगा।

|  |
| --- |
| परामर्श प्रश्न  1. जबरन विवाह के प्रति राष्ट्रीय स्तर पर समान जवाबी कार्यवाही में को बेहतर बनाने के लिए क्या ये विकल्प प्रभावशाली हैं? क्या कोई अन्य ऐसे विकल्प हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए? |

# भाग 1 - पीड़ित-सर्वाइवरों की पारिवारिक और घरेलू हिंसा सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए जबरन विवाह की, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर, साझा समझ उत्पन्न करना

## अपेक्षित परिणाम

जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है वे लोग प्रत्येक ऑस्ट्रेलियाई प्रशासकीय क्षेत्र में पारिवारिक और घरेलू हिंसा प्रणालियों के माध्यम से सहायताओं और सुरक्षाओं तक पहुँच सकें।

## सारांश

जबरन विवाह सामान्यतया पारिवारिक पृष्ठभूमि में ही होते हैं लेकिन, ऑस्ट्रेलिया भर में जबरन विवाह की, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर पहचान में भिन्नता है। उदाहरण के लिए, जबरन विवाह को न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया में पारिवारिक हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर पहचाना जाता है, लेकिन क्वींसलैण्ड, वैस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तस्मेनिया, नॉर्दर्न टेरीटोरी और ऑस्ट्रेलियाई केपिटल टेरीटोरी में संबंधित क़ानून, जबरन विवाह को स्पष्ट पहचान नहीं देता।

पारिवारिक और घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स में वो सुरक्षाएँ और सहायताएँ शामिल होती हैं जो जबरन विवाह के पीड़ित‑सर्वाइवरों के लिए लाभदायक हो सकती हैं। संबंधित सुरक्षाओं और सहायताओं में, नागरिक सुरक्षा आदेश, क़ानूनी सहायता, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, काउंसलिंग, वित्तीय सहायता और आपात-स्थिति आवास शामिल हो सकता है। लेकिन, जबरन विवाह की पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर पहचान में असामनता के कारण जबरन विवाह के पड़ित-सर्वाइवरों की इन सुरक्षाओं और सहायताओं तक पहुँच सीमित हो जाती है। कुछ मामलों में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिनका जबरन विवाह हुआ है जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों के लिए संबंधित सुरक्षाएँ और सहायताएँ उपलब्ध नहीं होती। जबकि अन्य मामलों में, जबरन विवाह की पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर पहचान या जागरूकता में कमी के कारण पहुँच में रुकावटें आ सकती हैं।

यदि जबरन विवाह को सभी प्रशासकीय क्षेत्रों में, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के तौर पर पहचान मिल जाती है, तो प्रशासकीय संस्थानों को जबरन विवाह की परिभाषा और अर्थ भी प्रदान करना होगा। ऐसा, *दण्डात्मक संहिता* (Cth) में दी गई जबरन विवाह की परिभाषा के संदर्भ के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें वर्णन किया गया है कि जबरन विवाह तब होता है जबः

1. विवाह के दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष (पीड़ित) बिना किसी दबाव और पूर्ण सहमति के विवाह करता/ती है:
   1. क्योंकि डराना, धमकी या धोखे का उपयोग किया गया
   2. क्योंकि पीड़ित विवाह संस्कार की प्रकृति और असर को समझने में असमर्थ था/थी; या
2. विवाह के समय, विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष (पीड़ित) की आयु 16 वर्ष से कम थी।

नीचे दिए गए प्रस्ताव में उन कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण है जिनका उपयोग ऑस्ट्रेलिया भर में जबरन विवाह की पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर पहचान की साझा समझ को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है और अंततः जबरन विवाह के पीड़ित-सर्वाइवरों के लिए पारिवारिक और घरेलू हिंसा सेवाओं की उपलब्धि में सुधार करने के लिए किया जा सकता है।

## फीडबैक के लिए प्रस्ताव

प्रशासनिक क्षेत्रों के आधार पर, निम्नांकित द्वारा, जबरन विवाह की पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर पहचान की साझा समझ हासिल की जा सकती है:

* जबरन विवाह को स्पष्ट रूप से पारिवारिक और घरेलू हिंसा की परिभाषाओं में शामिल करके
* जहाँ उपयुक्त हो, यह साफ़ करके कि जबरन विवाह को, पारिवारिक और घरेलू हिंसा की परिभाषाओं में पहले ही स्थान दिया जा चुका है
  + उदाहरण के लिए, जबरन विवाह को, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के क़ानूनी उदाहरण के तौर पर शामिल करके
* मुख्य हितधारकों के साथ मिलकर शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियाँ तैयार करके, ताकि जबरन विवाह को हमेशा और ज़्यादा नियमित रूप से, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर पहचाना जा सके।
* यह सुनिश्चित करके कि पारिवारिक और घरेलू हिंसा की परिभाषाएँ, किसी व्यक्ति को विवाह करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से, विवाह से पहले किए गए व्यवहारों पर भी लागू हों जिनमें, डराना, धमकी और धोखा भी शामिल है।

|  |
| --- |
| परामर्श प्रश्न  1. क्या जबरन विवाह को, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर पहचाना जाना चाहिए? क्यों? 2. जबरन विवाह की, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर बेहतर पहचान के लिए किन क़ानूनी, नीति परिवर्तनों से संबंधित या अतिरिक्त दिशा-निर्देशों की ज़रूरत है? 3. पारिवारिक और घरेलू हिंसा सेवाएँ जबरन विवाह को पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर, नियमित रूप से पहचानें इसके लिए, किन चीज़ों को बेहतर बनाने या अतिरिक्त दिशा-निर्देशों की ज़रूरत हो सकती है? |

# भाग 2 - शिक्षा और जारूकता‑वृद्धि को बढ़ाना

## अपेक्षित परिणाम

सभी समुदायों और संगठनों में जबरन विवाह की समझ और जागरूकता बढ़े. जिससे बेहतर पहचान हो सके और जबरन विवाह पर समुदाय के सदस्यों और महत्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों द्वारा साँस्कृतिक रूप से उचित तथा समय पर जवाबी कार्यवाही की जाए।

## सारांश

हितधारकों से अब तक मिले फीडबैक में यह सुनिश्चित करने के महत्व पर ज़ोर दिया गया है कि जबरन विवाह के प्रति बेहतर नागरिक सुरक्षाएँ और उपाय, जबरन विवाह पर ऐसी सर्वांगीण जवाबी कार्यवाही का हिस्सा बनें जिसमें सामुदायिक शिक्षा और जागरुकता बढ़ाना शामिल हो, और महत्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण भी शामिल हो। शिक्षा और जागरुकता बढ़ाने से सहायता माँगने वाले लोगों की सँख्या भी बढ़ सकती है, और इनका उचित सहायता सेवाओं से निकट ‑संबंध होगा।

सभी प्रशासनिक संस्थानों द्वारा समन्वित सर्वांगीण जवाबी कार्यवाही को बल देने के लिए, सरकारें मिलकर काम करने के सबसे ज़्यादा असरदार तरीके के बारे में विचार-विमर्श कर रही हैं। ये कार्यवाहियाँ इस परामर्श पत्र के अन्य प्रस्तावों को संभव बनाने में सहायक होंगी, और इनमें पारिवारिक और घरेलू हिंसा सेवाओं, जबरन विवाह से संबंधित विशेष सेवाओं, महत्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों तथा प्रशासनिक संस्थानों के माध्यम से शिक्षा और जागरुकता बढ़ाने को शामिल किया जा सकता है। शिक्षा और जागरुकता बढ़ाने वाली नई गतिविधियाँ साँस्कृतिक रुप से उचित होनी चाहिए और इन्हें जबरन विवाह से प्रभावित समुदायों के साथ मिलकर तैयार किया जाना होगा।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा निधिबद्ध (फंडेड) एफएमएसएसपी 2025 में शुरु होगा और प्रभावित समुदायों में शिक्षा और जागरूकता में इसकी एक गहन भूमिका होने की संभावना है। चुने गए प्रदाता द्वारा स्थानीय समुदायों के लोगों से संपर्क और संबंध बनाए जाएँगे, और बर्ताव में बदलाव और पारिवारिक रिश्तों की मजबूती को प्रोत्साहन देने के लिए जबरन विवाह के बारे में साँस्कृतिक रूप से उचित लक्षित शिक्षा और जागरुकता‑वृद्धि पहुँचाई जाएगी। एफएमएसएसपी का 18 महीने संचालन करने के बाद, दोबारा मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे जल्दी हस्तक्षेप और जबरन विवाह की रोकथाम के लिए शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने की ज़रुरतों पर और अधिक विचार-विमर्श करने का अवसर मिलेगा।

## फीडबैक के लिए प्रस्ताव

नीचे दी गई सूची में उन गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है जिन्हें सरकार शुरु कर सकती है। जबरन विवाह के प्रति शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने को ज़्यादा असरदार बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के लिए जानकारी, एफएमएसएसपी की शुरुआत और जबरन विवाह पर ध्यान देने के लिए मौजूदा गतिविधियों से मिली, सीख से हासिल होगी।

मुख्य गतिविधियों में शामिल हो सकता है:

* साँस्कृतिक रुप से उचित, सुलभ और सदमे की जानकारी-पूर्ण कार्यवाहियों सहित जबरन विवाह के पहचान चिन्हों और कार्यवाही कैसे की जाए इस बारे में लक्षित जागरूकता बढ़ाना
* समुदाय में शिक्षा और जागरुकता वृद्धि, तथा
* पारिवारिक और घरेलू हिंसा सेवा प्रदाताओं सहित, महत्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों के लिए लक्षित जागरुकता बढ़ाना।

|  |
| --- |
| परामर्श प्रश्न  1. शिक्षा और जागरुकता‑वृद्धि की गतिविधियों में किन विषयों पर ध्यान दिया जा सकता है? 2. जबरन विवाह से प्रभावित समुदायों में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने में क्या शामिल होना चाहिए? 3. समुदाय में किन समूहों को जबरन विवाह के बारे में शिक्षा और जागरुकता बढ़ाने की ज़रूरत है (उदाहरण के लिए मुख्य सेवाएँ प्रदान करने वाले कर्मचारी जैसे कि पुलिस, बाल सुरक्षा औरया समुदाय के भीतर विशेष समूह)? |

# भाग 3 - जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाओं और उपायों को मज़बूत बनाना

## अपेक्षित परिणाम

उन्नत नागरिक सुरक्षाएँ और उपाय जो उन लोगों के लिए हस्तक्षेप और रोकथाम के विकल्प प्रदान करते हों जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है।

## सारांश

वर्तमान में, जिन लोगों का जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों के लिए नागरिक सुरक्षा के तरीके सीमित हैं, जबरन विवाह की परिस्थितियों के अनुसार नहीं हैं, और सभी प्रशासनिक क्षेत्रों में ये तरीके अलग-अलग हैं। प्रस्ताव के इस भाग में उन सुरक्षाओं पर विचार किया गया है जो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हो सकती हैं जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है। इसमें शामिल है, ऐसी कार्यवाहियों पर विचार करना जो सुरक्षा आदेश में कवर की जा सकती हैं और यह विचार करना कि सुरक्षा आदेश किस पर लागू हो सकता है।

### *नागरिक सुरक्षाएँ और उपाय क्या होते हैं?*

नागरिक सुरक्षाएँ और उपाय अदालतों द्वारा दिए गए वे आदेश होते हैं जिनमें व्यक्तियों या संगठनों को एक निश्चित तरीके से, कार्यवाही करना, या कार्यवाही न करना क़ानूनी रूप से आवश्यक हो सकता है। नागरिक सुरक्षाएँ पीड़ित-सर्वाइवरों की भविष्य की हिंसा से रक्षा कर सकती हैं और पुलिस द्वारा इनकी पहल करने की ज़रुरत नहीं होती है। इनके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति पर शर्तें या प्रतिबंध लागू हो सकते हैं जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है। नागरिक सुरक्षाओं का आदेश अदालत द्वारा जल्दी से दिया जा सकता है, जिससे उन लोगों को समय-संवेदी सुरक्षाएँ मिल जाती हैं जिन्हें इनकी ज़रूरत होती है।

### *वर्तमान में क्या-क्या नागरिक सुरक्षाएँ उपलब्ध हैं?*

सभी प्रशासनिक क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा फ्रेमवर्क्स हैं जो पारिवारिक, घरेलू और व्यक्तिगत हिंसा के पीड़ित-सर्वाइवरों को सुरक्षाएँ प्रदान करते हैं। ये फ्रेमवर्क्स विभिन्न प्रकार की सुरक्षाएँ पेश करते हैं, जिनमें प्रतिवादी को एक रक्षित व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने से या रक्षित व्यक्ति से संपर्क करने से निषेध करना (रोकना) शामिल है। ये सुरक्षाएँ उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है।

लेकिन, जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों के लिए, मौजूदा नागरिक सुरक्षाओं को लागू करने में कमियाँ और सीमाएँ हैं। उदाहरण के लिए सभी प्रशासनिक क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की सुरक्षाएँ उपलब्ध हैं , जिनमें से कुछ केवल सीमित परिस्थितियों में, और विशेष पारिवारिक या अंतरंग साथी संदर्भों में ही उपलब्ध हैं।

*परिवार क़ानून अधिनियम 1975 (Family Law Act 1975) (Cth)* के तहत, अदालत बाल-देखभाल का एक ऐसा आदेश दे सकती है जो बच्चे की बाल-देखभाल व्यवस्थाओं के बारे में हो। इसमें, बच्चे की देखभाल, कल्याण या विकास के बारे में दिए गए कोई भी आदेश शामिल हो सकते हैं। कुछ निश्चित परिस्थितियों में, अदालत लोकेशन आदेश भी दे सकती है जिसमें किसी व्यक्ति या संगठन के लिए, बच्चे की लोकेशन के बारे में अदालत को जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि कोई बाल-देखभाल आदेश अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को रोकने के लिए दिया गया है, तो बच्चे का विवरण हवाई-अड्डा निगरानी सूची (एअरपोर्ट वाच लिस्ट) में शामिल कराने के लिए एएफपी के पास एक आवेदन भेजा जा सकता है। इससे यात्री विश्लेषण अनुमति तथा निकास प्रणाली (Passenger Analysis Clearance and Evacuation System) (पीएसीई) चौकसी शुरु हो जाएगी, जो बच्चे को ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाने से रोकने के लिए एक चेतावनी जारी कर देती है। इसका उपयोग, जबरन विवाह के उद्देश्य से किसी बच्चे को विदेश ले जाने से रोकने के लिए किया जा सकता है।

लेकिन, बाल-देखभाल आदेशों को बच्चों के उनके माता-पिता या देखभालकर्ताओं के साथ संबंधों को परिचालित करने के लिए तैयार किया जाता है, और इन आदेशों से व्यस्कों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। इसका मतलब ये भी है कि व्यस्कों को हवाई-अड्डा निगरानी सूची (एअरपोर्ट वाच लिस्ट) में नहीं डाला जा सकता है।

भाग 3 में बताए गए, बेहतर बनाने के प्रस्तावों का उद्देश्य, उपलब्ध नागरिक सुरक्षाओं की कमियों पर ध्यान देना और जिन लोगों का जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों के लिए, ज़्यादा समान और उद्देश्य के लिए सही सुरक्षाओं का पता लगाना है।

### *जबरन विवाह के प्रति हमें और ज़्यादा मज़बूत नागरिक सुरक्षाओं और उपायों की ज़रूरत क्यों है?*

जबरन विवाह पर दण्डात्मक न्यायिक जवाबी कार्यवाही, यह स्पष्ट संदेश देते हुए एक अवरोधक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है कि यह आचरण ऑस्ट्रेलिया में स्वीकार्य नहीं है। जबरन विवाह के प्रति और ज़्यादा मज़बूत नागरिक सुरक्षाएँ, पीड़ित-सर्वाइवर की सुरक्षितता और सकुशलता के लिए निवारक और समय-संवेदी परिणाम दे सकने वाले व्यवहारिक साधन प्रदान करके दण्डात्मक न्यायिक जवाबी कार्यवाही में सहायक होंगी। ऑस्ट्रेलियाई शोध में पुलिस और अभियोजन पक्ष (प्रोसिक्यूटर्) के लिए, मानव तस्करी और आधुनिक दासता (जबरन विवाह सहित) के मामलों की, लंबी और जटिल प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें यह सामने लाया गया है कि परिणाम चाहे कुछ भी आए, औसतन मामलों को अंतिम पड़ाव तक पहुँचने में दो वर्ष से ज़्यादा का समय लगता है। इसके अलावा, एएफपी जल्दी हस्तक्षेप के लिए जो कदम उठा सकती है और जो सुरक्षाएँ प्रदान कर सकती है वो भी अक्सर सीमित होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, युनाइटेड किंगडम (यूके) एक ऐसे देश का उदाहरण पेश करता है जिसने जबरन विवाह पर ध्यान देने में सहायता के लिए नागरिक सुरक्षाओं का उपयोग किया है। 2008 में, यूके ने जबरन विवाह सुरक्षा आदेशों (एफएमपीओस) की शुरुआत की थी। एफएमपीओस की शुरुआत हितधारकों की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिनमें कहा गया था कि जबरन विवाह से निपटने के लिए दण्डात्मक प्रतिबंधों की बजाय नागरिक सुरक्षाएँ सबसे ज़्यादा उचित तरीका है। इन हितधारकों ने तर्क दिया था कि कई पीड़ित-सर्वाइवर्स उनके परिवारों पर मुक़दमा चलाए जाने के लिए अनिच्छुक होंगे, इसलिए बहुत ही कम लोग सहायता माँगेंगे। यूके में किए गए शोध में एफएमपीओस के उपयोग में भारी रुचि की बात सामने आई है, जिसमें 2014 से 2023 के बीच ईंग्लैण्ड और वेल्स में हर साल लगभग 200-250 एफएमपीओस दिए गए।

ऑस्ट्रेलिया में, शैक्षणिक शोध और नागरिक समाज संगठनों से मिली सलाह में, जबरन विवाह के पीड़ित-सर्वाइवरों के सामने आने वाले ख़तरों और पीड़ित-सर्वाइवरों के जबरन विवाह से बचने या बाहर निकलने में सहायता के लिए, नागरिक सुरक्षा आदेशों जैसे क़ानूनी साधनों के फ़ायदों के बारे में बताया गया है। इस शोध में यह तर्क दिया गया है कि नागरिक सुरक्षाएँ ऐसे अतिरिक्त साधन उपलब्ध करवाए जाएँ, जिन तक पहुँचना, आपराधिक मुक़दमें के लिए आवश्यक सबूतों (सर्वाधिक पुख्ता) की मात्रा की तुलना में, कम मात्रा में सबूतों (संभावित पुख्ता) की आवश्यकताओ के कारण ज़्यादा आसान हो। यूके में हितधारकों की सिफारिशों के समान ही, जबरन विवाह का सामना कर रहे लोगों के साथ किए गए एक ऑस्ट्रेलियाई शोध में भी यही सिफारिश की गई है कि कुछ ऐसे लोगों के लिए दीवानी (सिविल) आदेश पसंदीदा क़ानूनी विकल्प हो सकते हैं जिनको ये डर हो सकता है वरना उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ़्तार किया जा सकता है और मुक़दमा चलाया जा सकता है।

पहले की संसदीय जाँचों में जबरन विवाह और आधुनिक दासता के अन्य स्वरूपों के प्रति ऑस्ट्रेलिया की जवाबी कार्यवाही पर सोच-विचार किया गया था। इन जाँचों में दिए गए कई सब्मिशन्स में जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों की रक्षा के क़ानूनी फ्रेमवर्क में कमियों पर प्रकाश डाला गया था। उनमें इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि, हाँलाकि बच्चों के लिए कुछ सुरक्षाएँ उपलब्ध हैं, लेकिन वैसी सुरक्षाएँ व्यस्कों के लिए उपलब्ध नहीं है।

जमा करवाए गए इन सुझावों में, हितधारकों ने एक ऐसे नागरिक फ्रेमवर्क की तरफदारी की थी जो यह सुनिश्चित करे कि पीड़ित-सर्वाइवरों के लिए सुरक्षाएँ उपलब्ध हों, चाहे उनकी आयु या लोकेशन कुछ भी हो, और उन जाँचों की अंतिम रिपोर्ट्स में सिफारिश की गई थी कि कॉमनवैल्थ सरकार जबरन विवाह से संबंधित सुरक्षा आदेशों को 18 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोगों के लिए विस्तारित (एक्सटेंड) करने पर विचार करे।

इस पत्र में प्रस्तावों के संक्षिप्त विवरण में, जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों के लिए समय‍-संवेदी परिणाम दे सकने वाले, हस्तक्षेप और रोकथाम के साधनों को बेहतर बनाकर, जबरन विवाह पर ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा जवाबी कार्यवाहियों के सम्पूरक की तलाश की जाएगी।

यूके के अनुभव, और इसके साथ-साथ हितधारकों के अब तक के फीडबैक, दिखाते हैं कि एक मज़बूत सहायता सेवा प्रणाली द्वारा, और जबरन विवाह से सबसे ज़्यादा प्रभावित समुदायों के साथ साँस्कृतिक रुप से उचित शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने की पहल द्वारा, नागरिक सुरक्षाओं और उपायों की सहायता की ज़रूरत है। यह परामर्श पत्र, पारिवारिक और घरेलू हिंसा सेवा प्रणालियों सहित, सहायताओं के बारे में, और शिक्षा और जागरुकता बढ़ाने वाली गतिविधियों के बारे में, सुझावों का आग्रह करता है। जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों के लिए उपलब्ध सहायताओं को मज़बूत बनाने में भी ये नए एफएमएसपीपी,काफी योगदान देंगे।

## फीडबैक के लिए प्रस्ताव

नीचे दिए गए भागों में, जबरन विवाह के प्रति बेहतर नागरिक सुरक्षाओं और उपायों के प्रस्तावित मुख्य तत्वों पर फीडबैक का आग्रह करने के साथ-साथ, इन तत्वों को कॉमनवैल्थ क़ानून के माध्यम से स्थापित करने या बेहतरी के बदलावों को मौजूदा पारिवारिक और घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स में एकीकृत करके स्थापित करने के लिए विकल्पों पर भी फीडबैक का आग्रह किया गया है। प्रस्तावित मुख्य तत्वों और इन्हें स्थापित करने के विकल्पों पर, ऑस्ट्रेलिया की सरकारों द्वारा चर्चा तथा आगे और बातचीत की जानी है।

### बेहतर नागरिक सुरक्षाओं और उपायों को शुरु करने के लिए विकल्प

ऑस्ट्रेलिया की सरकारें बेहतर नागरिक सुरक्षाओं और उपायों को शुरु करने के लिए विकल्पों पर विचार-विमर्श कर रही हैं। इनमें से दो विकल्पों में शामिल हो सकता है:

* **विकल्प A**: बेहतर सुरक्षाओं को, कॉमनवैल्थ, राज्य और टेरीटोरी के मौजूदा पारिवारिक और घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स में एकीकृत करना;
  + इसमें प्रशासकीय संस्थानों के लिए, साझा सिद्धांतों या बेहतर सुरक्षा के तत्वों को तैयार करना और उन पर सहमत होना शामिल हो सकता है, ताकि वे इन्हें अपने पारिवारिक और घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स या अन्य संबंधित फ्रेमवर्क्स में एकीकृत कर सकें, **या**
* **विकल्प B:** लागू करने के लिए राज्य तथा टेरीटोरी सरकारों से सहायता के साथ, कॉमनवैल्थ क़ानून के माध्यम से नई सुरक्षाएँ स्थापित करना।

#### **विकल्प A: पारिवारिक और घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स के साथ एकीकरण**

विकल्प A में बेहतर नागरिक सुरक्षाओं और उपायों को, मौजूदा विशेषज्ञताओं और प्रणालियों को बढ़ाते हुए, कॉमनवैल्थ, राज्य और टेरीटोरी के मौजूदा पारिवारिक और घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स में एकीकृत करने की कोशिश की जाएगी।

शोध में, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर, जबरन विवाह और डरा-धमका कर नियंत्रण के बीच संबंध की बात सामने आई है, जिसमें बच्चों और व्यस्कों को विवाह करने हेतु मजबूर करने के लिए अपराधियों द्वारा लंबे समय तक एक निश्चित तरीके से अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। इस विकल्प में, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के मौजूदा फ्रेमवर्क्स और विशेषज्ञताओं को बढ़ाकर, इन संबंधों पर विचार करने की कोशिश की गई है। सभी प्रशासनीय क्षेत्रों में पारिवारिक और घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स अलग-अलग हैं, और कुछ प्रशासनिक क्षेत्रों में, जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाओं को वैकल्पिक फ्रेमवर्क्स में एकीकृत करना ज़्यादा उचित हो सकता है। उदाहरण के लिए, तस्मेनिया में *पारिवारिक हिंसा अधिनियम 2004 (Family Violence Act 2004* (Tas), केवल किसी व्यक्ति के जीवन-साथी या जोड़ीदार द्वारा किए गए व्यवहार पर ही ध्यान देता हे और जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाओं को समाहित करने के लिए वैकल्पिक फ्रेममवर्क/फ्रैमवर्क्स को और भी अच्छे ढंग से स्थापित किया जा सकता है

मौजूदा प्रणालियों के साथ एकीकरण से इन प्रणालियों को पारिवारिक और घरेलू हिंसा से संबंधित व्यापक सहायताओं से जोड़ने का अवसर मिलता है, जिनमें विशेष अदालतें, सुरक्षाएँ और सहायता भी शामिल है। मौजूदा प्रणालियों का विस्तार करने से, जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों को जो विस्तृत सहायता और सुरक्षा चाहिए, उसे विभिन्न अदालतों के माध्यम से प्राप्त करने में जो जोखिम होता है वो भी कम हो सकता है।

जबरन विवाह के प्रति सुरक्षाओं को पारिवारिक और घरेलू हिंसा में एकीकृत करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया की सभी सरकारों को, बेहतर सुरक्षाओं और उपायों को लागू करने के लिए अपने फ्रेमवर्क्स में यथोचित संशोधन करने के लिए सहमत होना होगा। इस प्रणाली के लिए प्रत्येक प्रशासनिक क्षेत्र में क़ानूनी बदलावों की ज़रूरत होगी (जहाँ उचित हो), सभी प्रशासनिक क्षेत्रों में अलग-अलग फ्रेमवर्क्स और तरीके होने से बदलाव के इस कार्य में जटिलता आ सकती है।

इन बदलावों को लागू करने में सहायता के लिए, कठोर शिक्षा, जागरुकता बढ़ाने और क्षमता-निर्माण की भी ज़रुरत होगी, जिसमें पुलिस अधिकारी तथा महत्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले कर्मचारी, सेवा प्रदाता, अदालतें और प्रशासनिक संस्थान, तथा समुदाय शामिल हैं। कॉमनवैल्थ और राज्य तथा टेरीटोरी, दोनों ही स्तरों पर विभिन्न ऐजेंसियों और सेवा प्रदाताओं के बीच सामंजस्य को बल देना मुख्य होगा।

प्रशासनिक संस्थानों द्वारा जानकारी को आपस में साझा करना महत्वपूर्ण होगा, और इसमें राष्ट्रीय घरेलू हिंसा आदेश योजना (National Domestic Violence Order Scheme) (एनडीवीओएस) द्वारा सहयोग किया जा सकता है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया के एक राज्य या टेरीटोरी में जारी किए गए आदेश स्वतः ही संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में स्वीकृत और लागू करने योग्य हो जाते हैं।

*साझा सिद्धांत*

शुरु में विकल्प A को, साझा सिद्धांतों को या बेहतर सुरक्षाओं के उन तत्वों को विकसित करके आगे बढ़ाया जा सकता है जिन्हें प्रशासकीय संस्थानों द्वारा यथोचित रूप से अपने पारिवारिक और घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स या अन्य संबंधित फ्रेमवर्क्स में एकीकृत किया जाएगा।

ये सिद्धांत या तत्व, जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाओं और उपायों को बेहतर बनाने के लिए सभी प्रशासनिक संस्थानों के तरीकों में सहायता का आधार बनेंगे। इनसे इस पत्र के भाग 1 और 2 में प्रस्तुत प्रस्तावों को लागू करने में भी मार्गदर्शन मिल सकता है।

बेहतर नागरिक सुरक्षाओं और उपायों के सिद्धांतों या तत्वों पर सहमत होकर, सरकारें कार्यान्वयन में लचीलापन बनाए रखते हुए, उन ज़रुरतों पर ध्यान देने के लिए वचनबद्ध होंगी। इन सिद्धांतो को समाहित करने या ध्यान देने के लिए, प्रशासकीय संस्थानों द्वारा पारिवारिक या घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स जैसे, मौजूदा साधनों का उपयोग करने का, नए फ्रेमवर्क्स स्थापित करने का या अन्य पसंदीदा तरीकों का प्रयोग करने निर्णय लिया जा सकता है।

#### **विकल्प B: कॉमनवैल्थ का एक अलग से संपूर्ण अधिनियम**

विकल्प B से, कॉमनवैल्थ के एक अलग से संपूर्ण अधिनियम के माध्यम से जबरन विवाह के प्रति एक नए निर्देश की शुरुआत होगी। इसमें सुरक्षा से संबंधित उसी तरह के परिणामों को पाने की कोशिश की जाएगी जिस तरह के परिणामों का प्रस्ताव विकल्प A में है।

कॉमनवैल्थ के एक अलग से संपूर्ण अधिनियम से एक ऐसे राष्ट्रीय क़ानून को शुरु करने का अवसर उत्पन्न होता है जो सभी प्रशासकीय क्षेत्रों पर समान रूप से और लगातार लागू होता है। यह अधिनियम अदालतों को उन लोगों के लिए, रोकथाम और सुरक्षा ज़रूरतों पर ध्यान देने वाले आदेश देने की अनुमति देगा जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है।

विकल्प A की तरह विकल्प B भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि, कॉमनवैल्थ के निर्देश सुलभ, समय पर और असरदार हों, सभी प्रशासनिक संस्थानों के बीच आपसी सहयोग को आवश्यक बनाएगा । उदाहरण के लिए, कॉमनवैल्थ निर्देशों के आवेदनों की सुनवाई का अधिकार राज्य और टेरीटोरी की अदालतों को देकर, इसे संभव बनाया जा सकता है। आपसी सहयोग और प्रभावशाली एकीकरण के लिए प्रशासनिक संस्थानों के बीच, एनडीवीओएस पर विचार-विमर्श सहित, सक्रिय बातचीत और सूचना के आदान-प्रदान की प्रक्रियाएँ, महत्वपूर्ण होंगी। इसी तरह, विकल्प B में भी आदेशों को पहुँचाने (सर्व करने) और उनका पालन करवाने में पुलिस की भूमिका को ध्यान में रखा जा सकता है।

हाँलाकि यह प्रणाली पूरे देश में एक समान होगी, लेकिन संभवतया इस प्रणाली के अंतर्गत आवेदकों को सुरक्षा और सहायता माँगने के लिए कई तंत्रों तक पहुँचने की ज़रुरत होगी। जोखिमों को कम करने के लिए रैफरल की स्पष्ट प्रक्रियाएँ, इनके बारे में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा, जिसमें शामिल है, पुलिस अधिकारियों तथा महत्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों, सेवा प्रदाताओं, अदालतों और प्रशासनिक संस्थानों, तथा समुदायों द्वारा भी ये कार्य किए जाएँ।

|  |
| --- |
| परामर्श प्रश्न  1. क्या आप सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जबरन विवाह के प्रति कार्यवाही करने और जबरन विवाह को रोकने के लिए अभी जो क़ानूनी सुरक्षाएँ उपलब्ध हैं उनमें कोई कमी है? यदि हाँ, तो ये कमियाँ क्या हैं? 2. नागरिक क़ानूनी सुरक्षाओं को मज़बूत बनाने के लिए इस पत्र में दो विकल्पों पर चर्चा की गई है: विकल्प A (मौजूदा क़ानून को बेहतर बनाना, संभवतया साझा सिद्धांतों के माध्यम से) और विकल्प B (कॉमनवैल्थ के एक अलग से संपूर्ण क़ानून की शुरुआत)। परिपालन के इन दो विकल्पों में से कौनसा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा और क्यों? इनके मुख्य ख़तरे क्या हैं? क्या दूसरे ऐसे विकल्प हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए? 3. विकल्प A के अंतर्गत, पारिवारिक और घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स के क्या कोई ऐसे वैकल्पिक नागरिक सुरक्षा फ्रेमवर्क्स हैं जिनका उपयोग, जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाओं को मज़बूत बनाने के लिए किया जा सकता है? |

### बेहतर नागरिक सुरक्षाएँ और उपाय - मुख्य तत्व

#### आदेशों के आधार

‘आदेशों के आधार’ वे कारण होते हैं जिनकी वजह से अदालत द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है और इन कारणों का विवरण क़ानून में दिया गया होता है।

उदाहरण के लिए, राज्य और टेरीटोरी के नागरिक सुरक्षा फ्रेमवर्क्स में सामान्यतया हिंसा की उपस्थिति, या पूर्वानुमान को, किसी व्यक्ति को नागरिक सुरक्षाओं की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार माना जाता है।

जबरन विवाह‑संबंधी नागरिक सुरक्षाओं के लिए संभावित कारणों में शामिल हो सकता है, असंभावित पुख्ता सबूतों पर अदालत को संतुष्टि होना कि व्यक्ति के मन में इस बात के डर के पर्याप्त कारण हैं कि उसे विवाह के लिए मज़बूर किया जाएगा। इस संतुष्टि के कारण हो सकते हैं:

* उस व्यक्ति (या किसी दूसरे व्यक्ति, जैसे कि भाई या बहन) को नुक़सान की धमकियाँ
* जबरन विवाह के उद्देश्य से विदेश ले जाने का ख़तरा या उम्मीद, या
* विवाह हेतु मज़बूर करने के लिए प्रतिवादी द्वारा डराने वाला बर्ताव किया जा रहा है।

राज्य और टेरीटोरी के फ्रेमवर्क्स में जो कारण पहले से मौजूद हैं वो भी प्रासंगिक बने रहेंगे, इनमें हिंसा की उपस्थिति, या पूर्वानुमान, भी शामिल है।

|  |
| --- |
| परामर्श प्रश्नजबरन विवाह पर नागरिक सुरक्षाएँ माँगने के लिए, जबरन विवाह से संबंधित किन प्रमाणों, या अन्य प्रकार के कार्यों, ख़तरों या नुक़सानों पर, कारणों के रूप में विचार किया जाना चाहिए? |

#### आदेशों का दायरा

आदेशों का दायरा में ऐसे कई तरह के आदेशों या कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण है जिनसे जबरन विवाह को संपन्न होने से रोका जा सकता है, या किसी व्यक्ति को उस नुक़सान से बचाने में सहायता की जा सकती है जो उसे जबरन विवाह के संबंध में झेलना पड़ सकता है (इसमें जबरन विवाह संपन्न होने से पहले होने वाले नुक़सान भी शामिल हैं)।

आदेशों के दायरे के बारे में अभी ऑस्ट्रेलिया की सरकारों द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है और यह दायरा, कार्यान्वित करने की पसंदीदा प्रक्रियाओं पर भी निर्भर करेगा (जिनका विवरण ऊपर विकल्प और में दिया गया है)। ऑस्ट्रेलिया की सरकारें उन नागरिक सुरक्षाओं को प्राथमिकता देंगी जो उन गंभीर ख़तरों और नुक़सानों पर ध्यान दे सकती हों, जिनका सामान्यतया सबसे ज़्यादा सामना उन लोगों को करना पड़ता है जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है। इनमें वे आदेश शामिल हो सकते हैं जो:

* प्रतिवादी को एक ऐसे जबरन विवाह के लिए दबाव डालने, दबाव डालने की कोशिश करने, सहायता देने या प्रोत्साहन देने से रोकते हों जिसका संबंध किसी सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति से है
* प्रतिवादी को, किसी सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति के लिए विवाह का आयोजन करने के लिए कदम उठाने से रोकते हों, जैसे कि सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के पासपोर्ट के लिए आवेदन करना, फ्लाइटें बुक करना, अनुष्ठाता (विवाह कराने वाला व्यक्ति) को शामिल करना या विवाह करने के इरादे के नोटिस को भरना
* प्रतिवादी को, किसी व्यक्ति को जबरन विवाह में बने रहने के लिए दबाव डालने, दबाव डालने की कोशिश करने या डराने से रोकते हों
* किसी सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया से बाहर ले जाए जाने पर रोक लगाते हों
* अति विशिष्ट परिस्थितियों में, और मानव अधिकारों के बारे में गंभीर सोच-विचार के बाद, किसी सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाने से रोकते हों
* अति विशिष्ट परिस्थितियों में, और मानव अधिकारों के बारे में गंभीर सोच-विचार के बाद, सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति का पासपोर्ट अदालत में जमा करवाने का आदेश देते हों
* प्रतिवादी के लिए, सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति की वापसी में, बताए गए तरीकों, (जैसे कि सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति के वापस ऑस्ट्रेलिया आने के लिए फ्लाइटें बुक करना), से सहायता करने की आवश्यकता का आदेश देने सहित, जबरन विवाह के उद्देश्य से विदेश ले जाए गए किसी व्यक्ति की वापसी का समर्थन करते हों।
* प्रतिवादी को, सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति का अता-पता बताने का आदेश देते हों
* प्रतिवादी को, किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसा आचरण करने के लिए डराने, सहायता देने या प्रोत्साहन देने से रोकते हों जिस पर आदेश में रोक लगाई गई हो
* प्रतिवादी को निश्चित कार्य करने या निश्चित प्रकार के नुक़सान पहुँचाने से रोकते हों।

ऊपर बताए गए प्रस्तावित दायरों से लोगों के जीवन के अन्य पहलूओं पर असर पड़ सकता है और ऑस्ट्रेलिया की सरकारें असावधानीवश हुए परिणामों से बचने के लिए इन समस्याओं पर विचार-विमर्श कर रही हैं। उदाहरण के लिए:

* किसी व्यक्ति की वीज़ा व्यवस्थाएँ उसके जीवन-साथी या परिवार की वीज़ा स्थिति से जुड़ी हुई हो सकती हैं और सुरक्षा का आदेश जारी करने के कारण स्पॉन्सर करने वाले व्यक्ति को पीड़ित-सर्वाइवर के वीज़ा के लिए संरक्षण हटाना पड़ सकता है
* सुरक्षा का आदेश जारी करने से पीड़ित-सर्वाइवर के परिवार के अन्य सदस्यों को हानि का ख़तरा बढ़ सकता है, क्योंकि अपराधी द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों, जैसे कि भाईयों-बहनों, के माध्यम से पीड़ित-सर्वाईवर पर विवाह के लिए और ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश की जा सकती है।

|  |
| --- |
| परामर्श प्रश्नक्या ऊपर बताई गईं प्रस्तावित सुरक्षाएँ उन गंभीर ख़तरों और नुक़सानों पर ध्यान देंगी, जिनका सामान्यतया सबसे ज़्यादा सामना उन लोगों को करना पड़ता है जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। यदि नहीं, तो और किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए?  1. क्या निश्चित व्यक्तियों या संगठनों को सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन करने का सामर्थ्य देने के क्या कोई ख़तरे हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए? |

#### आवेदक

पीड़ित‑सर्वाइवर्स कई तरह के कारणों से नागरिक सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन करने में अनिच्छुक या असमर्थ हो सकते हैं, इन कारणों में आयु, तथा सँस्कृति और भाषा से संबंधित बाधाओं सहित अन्य बाधाएँ भी शामिल हैं। इस पर ध्यान देने के लिए, पीड़ित-सर्वाइवर की ओर से कई तरह के लोगों को नागरिक सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। संभावित आवेदकों में निम्नांकित शामिल हो सकते हैं:

* वह व्यक्ति जिसका जबरन विवाह हुआ है या जिस पर जबरन विवाह का ख़तरा है
* किसी बच्चे के माता-पिता या अभिभावक
* निर्णय-लेने के की क्षमताओं में दुर्बलता वाले 18 वर्ष से ज़्यादा आयु के किसी व्यक्ति की और से उसके अभिभावक
* पुलिस अधिकारी
* बाल-सुरक्षा एजेंसियाँ, और
* विशिष्ट सामुदायिक संगठन, सेवा प्रदाता और/या अन्य ग़ैर-सरकारी संगठन

किसी तृतीय पक्ष को, अदालत की स्वीकृति के साथ, आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देने वाले प्रावधानों पर सोच-विचार करने का भी महत्व है। हाँलाकि कई प्रकार के आवेदक होने से, नागरिक सुरक्षाओं के लिए आग्रह करने के लिए और ज़्यादा सुलभ रास्ते उपलब्ध हो जाएँगे, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हो सकते हैं जैसे कि अदालत के लिए यह तय करना मुश्किल होना कि क्या आवेदक, पीड़ित-सर्वाइवर के सर्वोत्तम हितों में काम कर रहा है।

अन्य प्रक्रियाओं के दौरान यदि उचित हो, तो अदालतें बिना आवेदन के भी, अपनी ख़ुद की प्रेरणा से भी आदेश जारी कर सकती हैं।

|  |
| --- |
| परामर्श प्रश्नक्या ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति या संगठन हैं जो जबरन विवाह के प्रति सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन कर सकते हों? यदि हाँ, तो कौन और क्यों?क्या निश्चित लोगों या संगठनों को सुरक्षा आदेशों के हेतु आवेदन करने के लिए क्षमता देने के क्या कोई ख़तरे हैं? यदि हाँ, तो ये ख़तरे क्या हैं और इन्हें कम कैसे किया जा सकता है? |

#### प्रतिवादी

प्रतिवादी वह व्यक्ति होता है जिसके विरुद्ध नागरिक सुरक्षा आदेश दिया गया है। दूसरे शब्दों में, ये वह व्यक्ति होता है जिसे अपने बर्ताव को आदेश के अनुसार बदलना ज़रूरी होता है। प्रशासनिक क्षेत्रों में इस बारे में अलग-अलग नियम हैं कि नागरिक सुरक्षा आदेशों के लिए आवेदन में प्रतिवादी कौन हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ प्रशासनिक क्षेत्रों के पारिवारिक और घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स के तहत केवल सगा (इमीजिएट) परिवार (माता-पिता, भाई-बहन) या अंतरंग साथियों के विरुद्ध ही आदेश दिए जा सकते हैं। *परिवार क़ानून अधिनियम 1975 (Family Law Act 1975) (Cth)* के अंतर्गत दिए जाने वाले बाल-देखभाल आदेश, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आदेशों की अनुमति देते हैं, यदि अदालत किसी बच्चे के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए इसे उचित माने तो़।

जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षा आदेशों को बेहतर बनाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया की सरकारें इस बात पर विचार कर रही हैं कि, क्या प्रतिवादियों को परिभाषित करना या अदालत को ऐसे आदेश देने का अधिकार देना उचित होगा जो ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू हो सकता है जिसे अदालत उचित व्यक्ति मानती है। जबरन विवाह के मामलों में, हो सकता है कि जिस व्यक्ति से ख़तरा हो वह परिवार का सदस्य नहीं हो। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का भावी जीवन-साथी या समुदाय का कोई सदस्य उसे जबरन विवाह के लिए मज़बूर करने की कोशिश करे।

संभावित प्रतिवादियों में निम्नांकित शामिल हो सकते हैं:

* परिवार के सदस्य, माता-पिता और निकट संबंधियों सहित
* जिस व्यक्ति पर जबरन विवाह का ख़तरा है उसका अपेक्षित जीवन-साथी
* विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति, इसमें धार्मिक, साँस्कृतिक या क़ानूनी रस्में करवाने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं
* किसी व्यक्ति पर विवाह करने के लिए दबाव डालने में शामिल अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों, इसमें ये भी शामिल है कि वे किस स्थान पर, दबाव डाल रहे हैं, दबाव डालने दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, या जबरन विवाह के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं।

|  |
| --- |
| परामर्श प्रश्न  1. क्या इस बात की कोई सीमा होनी चाहिए कि जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाओं के लिए प्रतिवादी कौन हो सकता है? यदि हाँ तो उनका विवरण कैसे दिया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए केवल परिवार के सदस्य)? |

#### पीड़ित-सर्वाइवर प्रतिनिधित्व

यह सुनिश्चित करने के लिए पीड़ित‑सर्वाइवर की इच्छाओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होगा कि वह नागरिक सुरक्षाओं और उपायों से आवेदन करने से जुड़ी प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने प्रतिनिधित्व का उपयोग कर सके। यह उन आदेशों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक होगा जो पीड़ित‑सर्वाइवरों के मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर असर डाल सकते हों - उदाहरण के लिए जबरन विवाह के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को विदेश ले जाए जाने से रोकना।

ऐसी घटनाएँ भी हो सकती हैं जिनमें, जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों पर परिवार या समुदाय के सदस्यों द्वारा यह कहने के लिए दबाव डाला जा रहा हो कि वे नागरिक सुरक्षा आदेशों के लिए सहमत या इच्छुक नहीं हैं, और यह महत्वपूर्ण है कि इन मामलों में पीड़ित-सर्वाइवरों को सहायता या सुरक्षा मिली हुई हो।

इन चिंताओं पर ध्यान देने के लिए, यह प्रस्ताव रखा गया है कि ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिनमें आदेश देते समय अदालत को सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति की इच्छाओं और भावनाओं पर ध्यान देने की अनुमति हो। इससे सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता मिलती है जबकि जबरन विवाह का सामना कर रहे व्यक्ति को जो संभावित भारी मनोवैज्ञानिक दबाव और डर झेलना पड़ता है उसे भी मान्यता दी जाती है।

|  |
| --- |
| परामर्श प्रश्न  1. पीड़ित-सर्वाइवरों को आदेशों को त्यागने के लिए डराने के ख़तरे पर कैसे निपटा जा सकता है? 2. पीड़ित-सर्वाइवरों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, के विचारों को कैसे तलाशा और, जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाएँ जारी करने की प्रक्रिया में सर्वोत्तम रूप से शामिल किया जा सकता है? |

#### क़ानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से अदालती सुरक्षाएँ और सहायता

वर्तमान में, प्रशासनिक संस्थानों के पास पारिवारिक और घरेलू हिंसा व्यवस्थाओं के माध्यम से सुरक्षाएँ उपलब्ध हैं, जिनमें नागरिक सुरक्षा आदेशों के लिए आवेदन करने वाले असहाय या विशेष ग़वाहों के लिए सुरक्षाएँ भी शामिल हैं। यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हए कि जिन लोगों का जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों को, अदालत द्वारा अन्य असहाय ग़वाहों को दी जाने वाली सुरक्षा जैसी ही सुरक्षाएँ दी जानी चाहिए।

अदालत द्वारा दी गई सुरक्षाएँ ग़वाहों को धमकाए जाने से रोक सकती हैं और उनकी सुरक्षा और सकुशलता में सहायक हो सकती हैं। परिस्थितियों के आधार पर, सुरक्षाओं में शामिल हो सकता है:

* यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाएँ करना कि पीड़ित-सर्वाइवर को प्रतिवादी को देखना नहीं पड़े, उदाहरण के लिए, स्क्रीन का उपयोग करके या ऑडियो-विज़ुअल लिंक के माध्यम से प्रमाण देकर
* अदालत में सहायक व्यक्ति का होना
* बंद दरवाज़े वाली अदालत में सबूत देना
* ख़ुद का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिवादियों द्वारा पूछताछ न किया जाना

इसके अलावा, परिवार क़ानून को लागू करने के अदालतों के क्षेत्राधिकार में, जिन मामलों में बच्चे शामिल हों उनमें, निश्चित परिस्थितियों में बच्चों के लिए अलग से एक बच्चों का वकील नियुक्त करने की क्षमता हो।

नागरिक सुरक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले, उन लोगों के लिए जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है, उन लोगों के लिए सहायता को आसान बनाने के लिए अन्य सेवाएँ और कार्यवाहियाँ भी उचित हो सकती हैं, इनमें शामिल है:

* मुख्य सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों, क़ानूनी कर्मचारियों, अदालतों और न्याय-तंत्र के लिए शिक्षा और जागरूकता‑बढ़ाने वाली गतिविधियाँ (भाग 2 देखें)
* पीड़ित-सर्वाइवरों की उनके आवेदन लगाने में सहायता करने वाली सेवाएँ, इसमें साँस्कृतिक और भाषाई रुप से विविध समुदायों के पीड़ित-सर्वाइवर्स भी शामिल हैं
* जिन लोगों पर ख़तरा है उन्हें सरकार द्वारा निधिबद्ध (फंडेड), एफएमएसएसपी जैसी सेवाओं में भेजने के रास्ते।

ऑस्ट्रेलिया की सरकारों द्वारा, जबरन विवाह के पीड़ित-सर्वाइवरों के लिए सहायताओं को मज़बूत बनाने के लिए संभावनाओं पर, आगे और विचार-विमर्श और चर्चा के लिए, सुझावों का स्वागत किया जाता है।

|  |
| --- |
| परामर्श प्रश्न  1. जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों की, इनमें बच्चे भी शामिल हैं, नागरिक सुरक्षा आदेश के आवेदन प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए, कौनसी अन्य सहायताएँ उपलब्ध होनी चाहिए? उदाहरण के लिए, आवेदन प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त सहायताएँ, या अदालत द्वारा अतिरिक्त सुरक्षाएँ। |

#### अंतरिम आदेश और एक-पक्षीय सुनवाईयाँ

अंतरिम और एक‑पक्षीय आदेश, नागरिक सुरक्षा आदेशों के लिए तत्काल और दूसरे पक्ष को नोटिस दिए बिना सुनवाई की अनुमति देते हैं। सामान्यतया इनकी समय-सीमा होती है, जिससे सुरक्षाएँ तब तक बनी रह सकती हैं जब तक कि आवेदन पर अदालत की सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से सुनवाई न हो जाए।

अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की ज़िम्मेदारी अदालत की होती है। लेकिन, सभी प्रशासकीय क्षेत्रों में, निश्चित परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी अंतरिम आदेश दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस अधिकारी अक्सर अंतरिम आदेश दे सकते हैं, या टेलिफ़ोन के द्वारा अंतरिम आदेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जबरन विवाह के पीड़ित‑सर्वाइवरों को अपनी सुरक्षा पर मंडरा रहे, कई तरह के ख़तरों का सामना करना पड़ सकता है, इसमें ऑस्ट्रेलिया से बाहर ले जाने या मानव-तस्करी द्वारा ऑस्ट्रेलिया से बाहर ले जाए जाने का ख़तरा भी शामिल है। इस कारण से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि नागरिक सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन के बारे में अदालत का अंतिम निर्णय आने तक यदि पीड़ित-सर्वाइवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ज़रूरी हो तो, अदालतों द्वारा दिए जाने वाले अंतरिम और/या एक‑पक्षीय आदेश संभव होने चाहिए।

|  |
| --- |
| परामर्श प्रश्न  1. जब किसी व्यक्ति का जबरन विवाह हुआ हो या किसी व्यक्ति पर जबरन विवाह का ख़तरा हो, तो अंतरिम आदेश देने के लिए कौनसे कारण महत्वपूर्ण होने चाहिए? 2. क्या अंतरिम आदेश, प्रस्तावित आदेशों के दायरों (आदेशों के दायरे में वर्णित) में से, सभी को नहीं बल्कि कुछ को ही शामिल करने तक सीमित होने चाहिए? यदि हाँ, तो किन सुरक्षाओं को शामिल किया जाना चाहिए और किन सुरक्षाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए और क्यों? 3. जब किसी व्यक्ति का जबरन विवाह हुआ हो या जबरन विवाह का ख़तरा हो तो किस तरह के सबूत जबरन विवाह के ख़तरे की तरफ इशारा कर सकते हैं जिन पर पुलिस द्वारा अंतरिम आदेश के कारणों पर विचार करते समय ध्यान दिया जाए। |

#### सेवा, प्रवर्तन और उल्लंघन

ऑस्ट्रेलिया में नागरिक सुरक्षा आदेशों को प्रदान करने की ज़िम्मेदारी सामान्यतया पुलिस अधिकारियों की होती है। आदेश को पुलिस द्वारा प्रदान करवाने से इस बात का बहुत ज़्यादा भरोसा मिलता है कि प्रतिवादी को आदेश के बारे में बता दिया गया है, जिससे सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति की सुरक्षा का अनुपालन, जवाबदेही और भरोसा बढ़ता है।

कुछ विशेष परिस्थितयों में, आदेशों को इलैक्ट्रॉनिक तरीके से प्रदान करना उचित हो सकता है। इस विकल्प में निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता पूर्वक सोच-विचार करने की ज़रूरत होगी। उदाहरण के लिए, इलैक्ट्रानिक तरीके से प्रदान किया गया आदेश, ‘स्पैम (spam)’ में कहीं गुम हो सकता है, एक धोखा समझकर उसकी उपेक्षा की जा सकती है, या हो सकता है कि उन प्रतिवादियों के लिए पहुँच योग्य (सुलभ) नहीं हो जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जो साँस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध पृष्ठठभूमियों से हैं या पहुँच के लिए जिनकी अन्य आवश्यकताएँ हैं।

जबरन विवाह के प्रति आदेशों को संबंधित पुलिसिंग ऐजेंसी द्वारा लागू किया जाएगा। लेकिन, यदि बेहतर सुरक्षाओं का राज्य और टेरीटोरी के घरेलू और पारिवारिक हिंसा फ्रेमवर्क्स के साथ एकीकरण किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के बाहर यात्रा पर जाने के लिए प्रतिबंधों और कार्यवाहियों से संबंधित आदेशों पर और अधिक सोच-विचार करने की ज़रूरत होगी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक-क्षेत्राधिकार सामान्यतया राष्ट्रमंडल के दायरे में आते हैं। यह एक गंभीर जटिलता है जिस पर ऑस्ट्रेलिया की सरकारें और अधिक विचार-विमर्श कर रही हैं।

सभी ऑस्ट्रेलियाई प्रशासनिक क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा आदेशों का उल्लंघन करना आपराधिक दण्ड का भागी बनाता है। इसी प्रकार, जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों के लिए नागरिक सुरक्षा आदेशों का उल्लंघन करना एक दण्डनीय अपराध होगा।

|  |
| --- |
| परामर्श प्रश्न  1. क्या कोई ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें आदेशों को व्यक्तिगत रूप से प्रदान करने की ज़रुरत नहीं होनी चाहिए (उदाहरण के लिए इलैक्ट्रॉनिक सेवा के माध्यम से)? यदि हाँ, तो ये परिस्थितियाँ क्या हैं? |

#### अन्य उपाय

कुछ अन्य ऐसे उपाय हो सकते हैं जिन पर जबरन विवाह के प्रति बेहतर सुरक्षाएँ और उपाय प्रदान करने की प्रणाली में सोच-विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जिनका जबरन विवाह हुआ है उन लोगों के लिए विवाह को रद्द करने की माँग करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाए जाने पर ध्यान दिया जा सकता है।

|  |
| --- |
| परामर्श प्रश्न  1. जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों के लिए, नागरिक सुरक्षाओं के अलावा, क्या कोई अन्य उपाय हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए? 2. वर्तमान में, क्या जबरन विवाह के पड़ित-सर्वाइवरों को उनके जबरन विवाह को अमान्य घोषित करने की माँग करते समय बाधाओं या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? यदि हाँ, तो इन बाधाओं या मुश्किलों से कैसे निपटा जा सकता है? |

## सहायता माँगने के लिए ख़तरे के कारण और अवरोध

जबरन विवाह किसी भी साँस्कृतिक समूह, धर्म या जातीयता तक सीमित नहीं है। लेकिन, ऑस्ट्रेलिया में कुछ समुदायों में ख़तरे के उन कारणों की संभावना ज़्यादा होती है जो जबरन विवाह से जुड़े हुए हो सकते हैं। इनमें शामिल हो सकता है, हाल ही में विस्थापन, अस्थाई या आश्रित (डिपेन्डेंट) वीज़ा स्थिति, भाषाई बाधाएँ या सामुदायिक सहायता और सामुदायिक संबंधों की कमी।

जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों को भी सहायताओं तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। बाधाओं में शामिल हो सकता है जातिवाद, भेदभाव, साँस्कृतिक रुप से सुरक्षित सेवाओं तक कम पहुँच का अभाव और/या रिपोर्ट करने के लिए पहुँच योग्य तरीकों की कमी। डिसेबलिटी वाले लोगों को ख़तरे के अतिरिक्त कारणों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिनमें यथोचित और सुरक्षित सहायता सेवाओं और संपर्क समूहों (नैटवर्क्स) तक सीमित पहुँच भी शामिल है।

जबरन विवाह के जटिल पारिवारिक और सामाजिक आयाम भी सहायता माँगने में बाधा हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि कोई युवा व्यक्ति अपने परिवार या समुदाय के सदस्यों के बारे में बात करने में सहज महसूस न करें।

क़ानूनी प्रक्रिया में शामिल होने से परिवारों और समुदायों में शर्म की भावना आ सकती है और सहायता माँगने वाले व्यक्ति के लिए ख़तरे बढ़ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जबरन विवाह के लिए क़ानूनी सुरक्षाएँ प्राप्त कर लेता है, तो यह महत्वपूर्ण होगा कि तद्नुसार ख़तरों पर सतर्कता पूर्वक ध्यान दिया गया है और उन्हें कम कर दिया गया है, तथा सुरक्षा माँगने वाले व्यक्ति के पास उचित सहायताएँ मौजूद हैं।

|  |
| --- |
| परामर्श प्रश्न  1. जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों के लिए सहायता माँगने के लिए क्या ख़तरे और बाधाएँ हैं? इनसे निपटने के लिए किन रणनीतियों पर विचार किया जा सकता है? 2. कोई व्यक्ति अगर क़ानूनी प्रणाली के माध्यम से सुरक्षा माँगे तो उसे किन खतरों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है? इन्हें कम कैसे किया जा सकता है? 3. सहायता प्रणालियों और क़ानूनी प्रणालियों में संलग्न होने से जबरन विवाह का सामना कर रहे लोगों के लिए ख़तरे बढ़ सकते हैं। जब किसी व्यक्ति पर जबरन विवाह का ख़तरा हो, तो क्या ऐसी कोई कार्यवाहियाँ हैं जो, मुख्य सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों या क़ानूनी सेवाओं को शुरु नहीं करनी चाहिए? |

## बच्चों की सहायता करना

एएफपी की रिपोर्टें दर्शाती हैं कि 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2022 तक, एएफपी को मिली जबरन विवाह की रिपोर्टों में से 56% रिपोर्टें 18 वर्ष से कम आयु वाले लोगों द्वारा की गई थीं, इसमें 31% की आयु 16 वर्ष से कम थी।

बच्चों के लिए मौजूदा सुरक्षाएँ राज्य और टेरीटोरी बाल सुरक्षा फ्रेमवर्क्स के माध्यम से और परिवार क़ानून अधिनियम 1975 (Family Law Act 1975) (Cth) के माध्यम से उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए परिवार क़ानून अधिनियम बच्चों की सुरक्षा के लिए आदेश देने की अनुमति देता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश शामिल है, यदि अदालत बच्चे के कल्याण के लिए ऐसा आदेश देना उचित मानती है, और यह अधिनियम बच्चों को हवाईअड्डा निगरानी सूची (एअरपोर्ट वाचलिस्)ट में डालने की भी अनुमति देता है।

बहरहाल, जबरन विवाह से बचने या बाहर निकलने की कोशिश कर रहे बच्चों के लिए, विशेष सहायता और पहुँच की आवश्यकताओं पर अतिरिक्त सोच-विचार करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, जिन बच्चों पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन्हें, अदालत के दस्तावेज़ों और फॉर्मों को प्राप्त करने, और इसके अलावा अदालत में उचित सुरक्षाएँ प्राप्त करने के लिए जिस अतिरिक्त सहायता की ज़रुरत पड़ सकती है उसके बारे में सोच-विचार करना इसमें शामिल हो सकता है।

|  |
| --- |
| **परामर्श प्रश्न**  1. बच्चो को प्रस्तावित क़ानूनी सुरक्षाओं तक पहुँचने में और आवेदनों, अदालतों और अन्य प्रक्रियाओं के दौरान सहायता के लिए किन अतिरिक्त सहायताओं और सुरक्षाओं पर विचार किया जा सकता है? |

# निष्कर्ष

इस परामर्श के माध्यम से प्रदान की गई सलाह से, जबरन विवाह के प्रति सुरक्षाओं और उपायों को बेहतर बनाने हेतु एक प्रणाली तैयार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सभी सरकारों के प्रयासों के लिए जानकारी हासिल होगी। यह प्रयास निरंतर जारी हैं और सभी प्रशासनिक संस्थानों द्वारा आगे और विचार-विमर्श तथा निर्णय से प्रभावित हो सकता है।

यदि आपके कुछ पूछना चाहते हैं या अतिरिक्त टिप्पणियाँ करना चाहते हैं, तो [ForcedMarriage@ag.gov.au](mailto:ForcedMarriage@ag.gov.au)पर अटर्नी-जनरल के विभाग से पर संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।

# समेकित परामर्श प्रश्न

# *परामर्श के लिए प्रस्ताव*

1. जबरन विवाह के प्रति राष्ट्रीय स्तर पर समान जवाबी कार्यवाही में को बेहतर बनाने के लिए क्या ये विकल्प प्रभावशाली हैं? क्या कोई अन्य ऐसे विकल्प हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए?

# *भाग 1: पीड़ित-सर्वाइवरों की पारिवारिक और घरेलू हिंसा सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए जबरन विवाह की, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर साझा समझ उत्पन्न करना*

1. क्या जबरन विवाह को, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर पहचाना जाना चाहिए? क्यों?
2. जबरन विवाह की, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर बेहतर पहचान के लिए किन क़ानूनी, नीति परिवर्तनों से संबंधित या अतिरिक्त दिशा-निर्देशों की ज़रूरत है?
3. पारिवारिक और घरेलू हिंसा सेवाएँ जबरन विवाह को पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर, और ज़्यादा नियमित रूप से पहचानें इसके लिए, किन चीज़ों को बेहतर बनाने या अतिरिक्त दिशा-निर्देशों की ज़रूरत हो सकती है?

# *भाग 2: शिक्षा और जारूकता बढ़ाने को बेहतर बनाना*

1. शिक्षा और जागरुकता वृद्धि की गतिविधियों में किन विषयों पर ध्यान दिया जा सकता है?
2. जबरन विवाह से प्रभावित समुदायों में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने में क्या शामिल होना चाहिए?
3. समुदाय में किन समूहों को जबरन विवाह के बारे में शिक्षा और जागरुकता बढ़ाने की ज़रूरत है (उदाहरण के लिए मुख्य सेवाएँ प्रदान करने वाले कर्मचारी जैसे कि पुलिस, बाल सुरक्षा औरया समुदाय के भीतर विशेष समूह)?

# *भाग 3: जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाओं और उपायों को मज़बूत बनाना*

## *फीडबैक के लिए प्रस्ताव*

1. क्या आप सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जबरन विवाह के प्रति कार्यवाही करने और जबरन विवाह को रोकने के लिए अभी जो क़ानूनी सुरक्षाएँ उपलब्ध हैं उनमें कोई कमी है? यदि हाँ, तो वे कमियाँ क्या हैं और क्या उनके लिए राष्ट्रीय जवाबी कार्यवाही की ज़रूरत है?
2. नागरिक क़ानूनी सुरक्षाओं को मज़बूत बनाने के लिए इस पत्र में दो विकल्पों पर चर्चा की गई है: विकल्प A (मौजूदा क़ानून को बेहतर बनाना, संभवतया साझा सिद्धांतों के माध्यम से) और विकल्प B (कॉमनवैल्थ के एक अलग से संपूर्ण क़ानून की शुरुआत)। परिपालन के इन दो विकल्पों में से कौनसा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा और क्यों? क्या-क्या मुख्य ख़तरे हैं? क्या दूसरे ऐसे विकल्प हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए?
3. विकल्प A के अंतर्गत, पारिवारिक और घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स के क्या कोई ऐसे वैकल्पिक नागरिक सुरक्षा फ्रेमवर्क्स हैं जिनका उपयोग, जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाओं को मज़बूत बनाने के लिए किया जा सकता है?

## *आदेशों के आधार*

1. जबरन विवाह पर नागरिक सुरक्षाएँ माँगने के लिए, जबरन विवाह से संबंधित किन प्रमाणों, या अन्य प्रकार के कार्यों, ख़तरों या नुक़सानों पर, कारणों के रूप में विचार किया जाना चाहिए?

## *आदेशों का दायरा*

1. क्या ऊपर बताई गईं प्रस्तावित सुरक्षाएँ उन गंभीर ख़तरों और नुक़सानों पर ध्यान देंगी, जिनका सामान्यतया सबसे ज़्यादा सामना उन लोगों को करना पड़ता है जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। यदि नहीं, तो और किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए?
2. क्या निश्चित व्यक्तियों या संगठनों को सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन करने का सामर्थ्य देने के क्या कोई ख़तरे हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए?

## *आवेदक*

1. क्या ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति या संगठन हैं जो जबरन विवाह के प्रति सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन कर सकते हों? यदि हाँ, तो कौन और क्यों?
2. क्या निश्चित लोगों या संगठनों को सुरक्षा आदेशों के हेतु आवेदन करने के लिए क्षमता देने के क्या कोई ख़तरे हैं? यदि हाँ, तो ये ख़तरे क्या हैं और इन्हें कम कैसे किया जा सकता है?

## *प्रतिवादी*

1. क्या इस बात की कोई सीमा होनी चाहिए कि जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाओं के लिए प्रतिवादी कौन हो सकता है? यदि हाँ तो उनका विवरण कैसे दिया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए केवल परिवार के सदस्य)?

## *पीड़ित-सर्वाइवर प्रतिनिधित्व*

1. पीड़ित-सर्वाइवरों को आदेशों को त्यागने के लिए डराने के ख़तरे पर कैसे निपटा जा सकता है?
2. पीड़ित-सर्वाइवरों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, के विचारों को कैसे तलाशा और, जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाएँ जारी करने की प्रक्रिया में सर्वोत्तम रूप से शामिल किया जा सकता है?

## *क़ानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से अदालती सुरक्षाएँ और सहायता*

1. जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों की, इनमें बच्चे भी शामिल हैं, नागरिक सुरक्षा आदेश के आवेदन प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए, कौनसी अन्य सहायताएँ उपलब्ध होनी चाहिए? उदाहरण के लिए, आवेदन प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त सहायताएँ, या अदालत द्वारा अतिरिक्त सुरक्षाएँ।

## *अंतरिम आदेश और एक-पक्षीय सुनवाईयाँ*

1. जब किसी व्यक्ति का जबरन विवाह हुआ हो या किसी व्यक्ति पर जबरन विवाह का ख़तरा हो, तो अंतरिम आदेश देने के लिए कौनसे कारण महत्वपूर्ण होने चाहिए?
2. क्या अंतरिम आदेश, प्रस्तावित आदेशों के दायरों (आदेशों के दायरे में वर्णित) में से, सभी को नहीं बल्कि कुछ को ही शामिल करने तक सीमित होने चाहिए? यदि हाँ, तो किन सुरक्षाओं को शामिल किया जाना चाहिए और किन सुरक्षाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए और क्यों?
3. जब किसी व्यक्ति का जबरन विवाह हुआ हो या जबरन विवाह का ख़तरा हो तो किस तरह के सबूत जबरन विवाह के ख़तरे की तरफ इशारा कर सकते हैं जिन पर पुलिस द्वारा अंतरिम आदेश के कारणों पर विचार करते समय ध्यान दिया जाए।

## सेवा, प्रवर्तनऔर उल्लंघन

1. क्या कोई ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें आदेशों को व्यक्तिगत रूप से प्रदान करने की ज़रुरत नहीं होनी चाहिए (उदाहरण के लिए इलैक्ट्रॉनिक सेवा के माध्यम से)? यदि हाँ, तो ये परिस्थितियाँ क्या हैं?

## *अन्य उपाय*

1. जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों के लिए, नागरिक सुरक्षाओं के अलावा, क्या कोई अन्य उपाय हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए?
2. वर्तमान में, क्या जबरन विवाह के पड़ित-सर्वाइवरों को उनके जबरन विवाह को अमान्य घोषित करने की माँग करते समय बाधाओं या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? यदि हाँ, तो इन बाधाओं या मुश्किलों से कैसे निपटा जा सकता है?

## सहायता माँगने के लिए ख़तरे के कारण और अवरोध

1. जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों के लिए सहायता माँगने के लिए क्या ख़तरे और बाधाएँ हैं? इनसे निपटने के लिए किन रणनीतियों पर विचार किया जा सकता है?
2. कोई व्यक्ति अगर क़ानूनी प्रणाली के माध्यम से सुरक्षा माँगे तो उसे किन खतरों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है? इन्हें कम कैसे किया जा सकता है?
3. सहायता और क़ानूनी प्रणालियों में संलग्न होने से जबरन विवाह का सामना कर रहे लोगों के लिए ख़तरे बढ़ सकते हैं। जब किसी व्यक्ति पर जबरन विवाह का ख़तरा हो, तो क्या ऐसी कोई कार्यवाहियाँ हैं जो, मुख्य सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों या क़ानूनी सेवाओं को शुरु नहीं करनी चाहिए?

## *बच्चों की सहायता करना*

1. बच्चो को प्रस्तावित क़ानूनी सुरक्षाओं तक पहुँचने में और आवेदनों, अदालतों और अन्य प्रक्रियाओं के दौरान सहायता के लिए किन अतिरिक्त सहायताओं और सुरक्षाओं पर विचार किया जा सकता है?